नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल०ए०)-खण्ड--iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा शहरी स्थानीय निकाय के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद घुमारवीं के लेखों का अंकेक्षण निष्पादित किया गया ।

(ख) अंकेक्षण अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक नगर परिषद घुमारवीं में निम्नलिखित बतौर अध्यक्ष एव कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहें :-

(i) अध्यक्ष :-

क्र० सं०	**नाम**	**अवधि**
1	श्रीमति रीता सहगल	01.04.2023 से 31.03.2024

(ii) कार्यकारी अधिकारी एवं आहरण व वितरण अधिकारी :-

क्र० सं०	**नाम**	**अवधि**
1	श्री पंकज कुमार (कार्यवाहक)	01-04-2023 से 31-03-2024

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

नगर परिषद घुमारवीं के अवधि 04/23 से 03/24 के लेखों के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	**पैरा सं.**	**गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण**	**राशि (₹ लाखों में)**
1	6.2	अनुदानों के उपयोग हेतु शेष राशि	938.66

2	10.1,10.6, 10.8	गृहकर, दुकान किराये, मोबाइल टावर स्थापना / नवीनीकरण शुल्क की वसूली हेतु शेष राशि की वसूली न करना	119.15
3	10.2	गृहकर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण वित्तीय हानि	11.00
4	10.7	दुकानदारों से प्रतिभूति राशि की वसूली न करने बारे	3.20
5	10.9	घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में कम वसूली करना	22.80
6	13.2	नगर परिषद क्षेत्र में सम्पति कर / गृह कर के आंकलन एवं प्राप्ति का सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु को Jaago Foundation (Service Provider org.) Kangra Road Jawalamukhi Distt. Kangra ₹ 4.00 लाख का अनियमित भुगतान	4.00

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

संस्था द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरांत पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के (**परिशिष्ट-क)** पर दिया गया है | प्रायः देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जोकि अत्यंत चिंताजनक है | अत: नगर परिषद इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान / कार्यवाही सुनिश्चित करें तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके|

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

नगर परिषद घुमारवीं के लेखों अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री संजीव कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 03-03-2025 से 03-04-2025 तक नगर परिषद घुमारवीं के कार्यालय में निष्पादित किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में समाविष्ट हैं । विस्तृत अंकेक्षण हेतु आय के लिए माह 03/2024 तथा व्यय के लिए माह 03/2024 का चयन किया गया ।

अस्वीकरण (*Disclaimer*) :- "यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद घुमारवीं द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत / अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई, के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है" |

3 अंकेक्षण शुल्क :-

नगर परिषद के लेखों अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण हेतु शुल्क **₹23,000/-** आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने हेतु, सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 80/25 दिनांक 03.04.2025 द्वारा वर्तमान कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से अनुरोध किया गया व उनके द्वारा तुरंत कार्यवाही करते हुए उक्त राशि मल्टीसिटी चैक संख्या 727690 दिनांक 03.04.2025 द्वारा जो पी.एन.बी. बैंक की शाखा शिमला में देय थी, निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित कर दी गई |

4 (I) वित्तीय विवरणियां :-

नगर पंचायत / नगर परिषद अधिनियम, -1994 के अंतर्गत तथा नगर पंचायत / नगर परिषद के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर पंचायत/ नगर परिषद द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियां तैयार की जानी आवश्यक हैं। अंकेक्षण के दौरान निम्न वर्णित **वित्तीय विवरणियां** आवश्यक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/25 दिनांक 20.01.2025 द्वारा अनुरोध किया गया था, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि अवधि 01.04.23 से 31.03.24 हेतु निम्नलिखित वित्तीय विवरणियों को प्रस्तुत किया गया है, जिसे संलग्न **(परिशिष्ट – प)** पर दर्शाया गया है |

क्रम	**वित्तीय विवरणी**	**प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई**
1	तुलन पत्र (Balance sheet)	प्रस्तुत की गई
2	आय-व्यय विवरणी (Income & expenditure statement)	प्रस्तुत की गई

3	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Reciept & payment account)	प्रस्तुत की गई
4	नकदी प्रवाह विवरणी (Statement of cash flow)	प्रस्तुत की गई
5	लेखों पर टिप्पणियाँ (Notes to accounts)	प्रस्तुत नहीं की गई
6	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial performance Indicator)	प्रस्तुत नहीं की गई

4 (II) दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) को लागू न करना:-

निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt.25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III-9337-9385 Dt.07.09.2009 तथा पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-IV-5215-63 Dt.19.07.2010 द्वारा सभी नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को निर्देश दिये गए थे कि लेखा खातों को दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System on Accural Basis) से रख-रखाव किया जाए, किन्तु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लेखा खातों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद घुमारवीं द्वारा इन निर्देशों की अवहेलना करके अपने लेखा खातों को एकल पद्धति के आधार पर बनाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है | अत: निदेशक, शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के निर्देशों की अवहेलना करके लेखों को दोहरी लेखा पद्धति के स्थान पर एकल लेखा पद्धति के आधार पर बनाए जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं सरकार के निर्देशानुसार लेखों को दोहरी पद्धति के आधार पर बनाया जाना तुरंत सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए| इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/25 दिनाकं 10.03.2025 के प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा अपने पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि नगर परिषद द्वारा वर्ष 2024-25 से दोहरी लेखा पद्धति में रोकड़ बही का रख-रखाव शुरू कर दिया गया है | अतः कृत कार्रवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए

4 (III) तुलन – पत्र :-

निदेशक, शहरी विकास, हि०प्र० के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 दिनांक 25.03.2009, समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2009 व 19.07.2010 व पन्द्रहवाँ वित्तायोग के प्रावधानों की अनुपालना में नगर परिषद द्वारा अपने वर्ष 2023-24 के लेखों का तुलन पत्र

(**परिशिष्ट- प**) अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया। तुलन पत्र के अवलोकन पर निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ वांछित हैं :-

4 (III) (क) परिषद लेनदारियों को तुलन पत्र में न दर्शाना:- तुलन पत्र के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध सूचियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2024 को नगर परिषद के पास निम्नलिखित लेनदारियां अदत (Outstanding) उपलब्ध थीं, जिन्हें इस तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया है:-

(i) परिशिष्ट "ज, ब" के अनुसार नगर परिषद के पास दिनांक 31.03.2024 को अपना कार्यालय भवन, रैन बसेरा, सामुदायिक भवन, 42 दुकानें, सामुदायिक शौचालय, पार्क आदि अनेक अचल सम्पत्तियाँ हैं। अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत आय व्यय के आंकड़ों के अनुसार इनसे इस वित्तीय वर्ष में ₹4,43,172/- की राशि किराये के रूप में वसूल की गई है। परन्तु इन सम्पत्तियों को तुलन पत्र में नहीं दर्शाया गया है जबकि लेखा सिद्धान्तों अनुसार समस्त चल / अचल सम्पत्तियाँ तुलन-पत्र में दर्शाई जानी आपेक्षित है।

(ii) नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत विविध आय सम्बन्धी सूचनाएं जो कि उप-अनुच्छेद 10.1,10.6,10.8 व 10.9 में संकलित है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 31.03.2024 को नगर परिषद् द्वारा ₹ 1,41,95,853/- की लेनदारियाँ वसूल करने को शेष थीं । उपरोक्त लेनदारियाँ तुलन पत्र में नहीं दर्शाई गई है।

4 (III) (ख) अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन न करना/करवाना:- दोहरी लेखा प्रणाली के नियमों के अनुसार नगर परिषद द्वारा वार्षिक तुलन पत्र तैयार करने से पहले अपनी समस्त अचल सम्पत्तियों का मूल्यांकन करके उन्हें इसके सम्पत्ति पक्ष में दर्शाया जाना अपेक्षित था परन्तु ऐसा नहीं किया गया है ।

अतः नगर परिषद घुमारवीं द्वारा चल व अचल सम्पत्तियाँ, लेनदारियाँ, देनदारियाँ, निर्माण, निक्षेप कार्य के अग्रिम तथा अन्य अग्रिम आदि तुलन पत्र (Balance Sheet) में नहीं दर्शाए गए हैं जोकि लेखा सिद्धान्तों की अवहेलना है तथा ऐसे में नगर परिषद् घुमारवीं का तुलन-पत्र सम्पत्ति एवं देयताओं (Assets and Liabilities) की सही स्थिति परिलक्षित नहीं करता है। नगर परिषद् की समस्त सम्पत्तियों एवं देयताओं को तुलन-पत्र में सम्मिलित किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

5 वित्तीय स्थिति :-

5.1) नगर परिषद द्वारा यथा **(परिशिष्ट – ख)** पर प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर परिषद की विभिन्न निधियों की लेखा अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

वित्तीय वर्ष 2023-24

	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
स्वंय स्त्रोत	45726007	87,34,325	33,47,937	5,78,08,269	1,11,05,150	4,67,03,119
अनुदान	5,05,58,443	7,09,62,900	0	12,15,21,343	2,76,55,176	9,38,66,167
योग	**9,62,84,450**	**7,96,97,225**	**33,47,937**	**17,93,29,612**	**3,87,60,326**	**14,05,69,286**

5.2) दिनांक 31.03.2024 को नगर परिषद के पास बैंक निवेश व बचत खातों में उपलब्ध मुख्य रोकड़ बही से सम्बन्धित निधि का विवरण :-

			सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	**1,66,39,735.00**
क्रम सं०	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि (₹)**	
1	पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	12782151003271	3,00,91,859.21	
2	पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	12782722000048	4,40,39,817.00	
3	पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	1278100100000017	2,82,611.00	
4	पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	1278100100004396	3,14,08,410.00	
5	पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	12782413000416	0	
6	हि.प्र.रा.स.बैंक घुमारवीं	11010119500	9,53,828.00	
7	हि.प्र.रा.स.बैंक घुमारवीं	11010110544	24,46,375.00	
8	हि.प्र.रा.स.बैंक घुमारवीं	11010100464	30,13,663.43	
9	बैंक ऑफ़ बडौदा	38340100005112	1,74,017.00	
10	केनरा बैंक	110125157262	43,10,576.00	
11	आई.सी.आई.सी.आई बैंक घुमारवीं	480605000008	19,81,973.00	
12	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100488978171	0	

13	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100157962003	0	
14	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100462354409	0	
15	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100014226290	0	
16	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100252410170	0	
17	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100462349116	0	
18	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100080747260	2,42,318.55	
19	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100080747205	23,12,468.00	
20	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया घुमारवीं	3590243493	27,02,310.77	
21	यूको बैंक	12550110043035	0	
बचत खातों का कुल योग				**12,39,60,226.96**
सावधि जमा निवेश तथा बचत खातों के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को कुल जमा राशि				**14,05,99,961.96**

5.3) पेंशन एवं ग्रैच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति (विस्तृत विवरण परिशिष्ट "भ" पर):-

वित्तीय वर्ष	**प्रारंभिक शेष (₹)**	**अंशदान प्राप्त बैंक ब्याज़ सहित (₹)**	**कुल योग (₹)**	**व्यय/भुगतान (₹)**	**अन्तशेष (₹)**
2023-24	70,19,357	24,30,502	94,49,859	23,42,581	71,07,278

दिनांक 31.03.2024 को अन्तिम शेष का विवरण:-

5.4) पेंशन एवं ग्रैच्युटी निधि की बैंक समाधान विवरणी :-

क्रम	**विवरण**	**राशि (₹)**
1	हि. प्र. सह. बैंक बचत खाता संख्या 11010112885	8,06,240
2	सावधिक जमा निवेश	60,31,176
3	**बैंक बचत खाता व निवेश का कुल योग**	**68,37,416**
4	वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.2024 को शेष	71,07,278
5	**अन्तर**	**2,69,862**

5.4 (क) अन्तर के कारण :-

मुख्य रोकड़ बही से सम्बन्धित ₹2,69,862/- का भुगतान जिसे चैक संख्या 854151 दिनांक 04.03.2024 द्वारा पेंशन एवं ग्रैच्युटी निधि से आहरित किया गया था, के कारण आया है जिसे

मुख्य रोकड़ बही खाते से शीघ्र आहरित करके पेंशन एवं ग्रैच्युटी निधि लेखे में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपाला से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

5.5) दिनांक 31.03.2024 तक मुख्य रोकड़ बही में लेखांकित परिषद निधियों से किए गये निवेश का विवरण:-

क्र०सं०	सावधि जमा योजना संख्या/बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपक्कवता तिथि	अवधि	परिपक्कवता राशि (₹)	ब्याज दर (%)
1	50300117540804/एच.डी.एफ.सी. बैंक घुमारवीं	09.11.2023	73,26,477	09.11.2024	01 वर्ष	78,22,336	6.60
2	12783031003053/ पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	19.10.2023	47,45,007	19.10.2024	01 वर्ष	50,73,494	6.75
3	643900DP0006804/ पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	29.09.2023	24,64,881	30.09.2024	01 वर्ष	26,35,520	6.75
4	11030103816/ एच.पी.स्टेट कोओपरेटिव बैंक घुमारवीं	19.01.2023	21,03,370	19.01.2024	01 वर्ष	21,03,370	7.10
		योग	**1,66,39,735**				

5.6) Reconciliation of bank balances and cash book balances as on 31.03.2024

Balance as per cash book/Financial Position as on 31.03.2024				**14,05,69,286.00**
Add:-	i)	Expenditure out of own source but cheque issued vide No.854151 dated 4.03.2024 from Pension & Gratuity Fund. 2,69,862.00	2,69,863.96	
	ii)	Interest received from different bank accounts as per detail below in paisa were not entered in cash book :- a)PNB Bank A/C No.12782151003271 0.21 b)HP Co. Bank A/C No.11010100464 0.43 c)HDFC Bank A/C No. 11010100464 0.55 d)CBI A/C No. 3590243493 0.77		2,69,863.96
				14,08,39,149.96
Less		Cheques deposited in to bank but not credited in to bank as per detail below :-	2,39,188.00	

Ch. No.	**Date**	**Amount**
501616	28.03.24	57585

	457250	28.03.24	76752			
	000071	30.03.24	77322			
	580908	30.03.24	18974			
	966527	30.03.24	8555			2,39,188.00
Rectified balance after above additions						**14,05,99,961.96**
Balance as per funds available in the banks as on 31.03.2024						**14,05,99,961.96**
Difference						**₹ 0**

6 अनुदान :-

6.1) वित्तीय स्थिति :-

नगर परिषद घुमारवीं की अंकेक्षणाधीन अवधि 01-04-2023 से 31-03-2024 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तारपूर्वक विवरण **(परिशिष्ट – ग)** में भी दिया गया है :-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान व्यय राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2023-24	5,05,58,443	7,09,62,900	0	12,15,21,343	2,76,55,176	9,38,66,167
योग	**5,05,58,443**	**7,09,62,900**	**0**	**12,15,21,343**	**2,76,55,176**	**9,38,66,167**

6.2) अनुदानों की ₹938.66 लाख उपयोग हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **(परिशिष्ट - घ)** पर प्रस्तुत विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त अनुदान की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदानों में से दिनांक 31-03-2024 को ₹**9,38,66,167** उपयोग हेतु शेष थी, जबकि अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों के अनुसार यह राशियाँ आमतौर पर एक या दो वर्षों के भीतर उपयोग की जानी अपेक्षित होती हैं | अत: अनुपयोग अनुदान राशियों को निश्चित अवधि में उपयोग न किये जाने बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए इन्हें सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत प्राप्त निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग को करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

6.3) अनुदान रजिस्टर तैयार न करना :-

नगर परिषद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न विभागों / संस्थाओं से प्राप्त अनुदानों व प्राप्त अनुदानों से किए गए व्यय से सम्बन्धित अभिलेख अनुदान रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। अतः वित्तीय वर्ष 2023-24 का अनुदान रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6.4) ₹156.34 लाख के अनुदानों के व्यय सम्बन्धी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **(परिशिष्ट – घ)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2023-24 दौरान व्यय की गई राशि ₹1,56,33,763/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत नहीं किए गए थे, लेकिन अनुदान राशियों को जिन-जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय किया गया, की सत्यापना वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी, क्योंकि नगर परिषद द्वारा अनुदान रजिस्टर को तैयार नहीं किया गया। अत: अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह / दिनांक, बिल / वाउचर संख्या इत्यादि से सम्बन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किया जाना व सम्पूर्ण अभिलेख सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

ANNUAL REPORT

7 निवेश

7.1) मुख्य रोकड़ बही में लेखांकित परिषद निधियों में से किए गये निवेश के विवरण को अनुच्छेद 5.3 में दिया गया है।

7.2) पेंशन एवं उपदान निधि से किए गये निवेश का विवरण

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/25 दिनांक 20.01.2025 के सन्दर्भ में **(परिशिष्ट – ङ)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को पेंशन एवं उपदान निधि से सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों का विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम	सावधि जमा योजना संख्या/बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	अवधि	परिपक्वता राशि (₹)	ब्याज दर (%)
1	11030310350/ एच.पी.स्टेट कोओपरेटिव बैंक घुमारवीं	13.11.2023	9,49,616	13.11.2024	414 दिन	10,59,241	7.10
2	11030310263/ एच.पी.स्टेट कोओपरेटिव बैंक घुमारवीं	24.09.2023	50,81,560	11.11.2024	414 दिन	54,52,071	7.10
		योग	**60,31,176**				

उपरोक्त सावधि जमा को परिपक्वता तिथि पर भुनाना अथवा पुनः निवेश करना सुनिश्चित किया जाए।

7.3) अतिरिक्त निधि को सावधि जमा योजना में निवेश करने की उपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण ब्याज संभावित आय की हानि

गत अनुछेद 5.2 तथा **परिशिष्ट (ख)** में प्रस्तुत विवरणानुसार दिनांक 31.03.2024 को ₹12,39,60,227/- की एक बड़ी राशि परिषद के बचत खातों / हस्तगत में शेष जमा थी। इसमें से **₹3,00,94,060/-** (कुल राशि – अनुदान निधि का शेष = ₹12,39,60,227 – ₹9,38,66,167) की

राशि केवल परिषद निधि की ही है, जिसमें से यदि सामयिक आवश्यकता के अतिरिक्त उपलब्ध राशि को एक माह से एक वर्ष तक की अल्प अवधि हेतु बैंक सावधि योजनाओं में निवेश किया जाता तो निश्चित रूप से ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित की जा सकती थी, परन्तु परिषद द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा इस राशि को केवल बैंक बचत खातों में जमा रखा | परिणामस्वरुप ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली संभावित अतिरिक्त आय से वंचित होना पड़ा | अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में परिषद की सामयिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समुचित राशि को बचत खाते में छोड़ कर शेष उपलब्ध राशि को अल्पावधि बैंक सावधि योजनाओं में निवेशित करने का प्रयत्न किया जाए ताकि परिषद को यह अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके | इस सन्दर्भ में, सुझाव दिया जाता है कि परिषद् निधि में आवश्यकता / उपयोग से अधिक पड़ी राशि को सुविधा अनुसार / भविष्य में राशि के उपयोग अनुसार अल्प अवधि में निवेश किया जाए अथवा सम्बंधित बैंकों से सावधि जमा में निवेश हेतु ऑटो स्वीप (Auto Sweep) सुविधा का लाभ लेने हेतु आग्रह किया जाए जिस से कि उक्त सुविधा द्वारा परिषद् लेखे में फालतू पड़ी राशि पर अधिक ब्याज के रूप में आय अर्जित हो सके।

8 बजट :-

8.1) नगर परिषद के अंकेक्षण अवधि 01.04.23 से 31.03.24 दौरान का स्वीकृत बजट एवं इसके विरुद्ध व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	**स्वीकृत बजट (₹)**	**वास्तविक व्यय (₹)**	**अंतर (₹)**
2023-24	7,62,96,500	7,77,93,884	14,97,384

उपरोक्त विवरणी से स्वत: स्पष्ट है कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 दौरान स्वीकृत बजट से ₹14,97,384/- का अधिक व्यय किया गया था, जिसका सक्षम अधिकारी से परिषद द्वारा अनुमोदन नहीं करवाया गया था | अतः अधिक व्यय की गई राशि का सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवा कर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

8.2) नगर परिषद् के वर्ष 2023-24 के बजट के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ :-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/25 दिनांक 20.01.2025 के सन्दर्भ में निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित वार्षिक 2023-24 के बजट की उपलब्ध करवाई गई सूचना / प्रति के अवलोकन उपरान्त निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ आपेक्षित है :-

वर्ष 2023-24 के बजट में प्रस्तावित तथा वास्तविक आय – व्यय

आय – व्यय का शीर्ष	**वर्ष 2023-24 (₹)**
स्व: - स्त्रोतों से प्रस्तावित आय	1,97,76,500
स्व: - स्त्रोतों से वास्तविक आय	1,20,82,262

अन्तर	76,94,238 (38.90 % कमी)
अनुदानों से प्रस्तावित आय	6,44,50,000
अनुदानों से वास्तविक आय	7,09,62,900
अन्तर	65,12,900 (10.10 % वृद्धि)
व्यय	
कुल प्रस्तावित व्यय	7,77,93,884
कुल वास्तविक व्यय	3,87,60,326
अन्तर	3,90,33,558 (50.17% कमी)

8.3) अनुमोदन

नगर परिषद के वर्ष 2023-24 के बजट का अनुमोदन निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा कार्यालय पत्र संख्या UD-H(C)(1)-21/2011-1-15762-63 दिनांक 25.08.2023 द्वारा किया गया है |

8.4) बजट प्राक्कलन पांच माह के विलम्ब से अनुमोदित करवाना

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद अधिनियम 1994 के नियम 249 (1 व 2) में प्रावधित है कि नगर परिषद का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच की अवधि में सदन के पटल पर रखे जाने के पश्चात् जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जाएगा | इसी प्रकार नियम 249(5) में प्रावधित है कि यदि नगर परिषद सदन में उपरोक्त वर्णित तिथियों के बीच बजट प्रस्तावों को अपनी सहमति नहीं देता है तो कार्यकारी अधिकारी सदन की सहमति के बिना ही जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रस्तुत करेगा | वर्ष 2023-24 के बजट की अनुमोदित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिलाधीश बिलासपुर के माध्यम से यह पत्र संख्या BLS-LFA-4(1)/88-29377 दिनांक 06.07.2023 द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रस्तुत किए जाने पर एक माह के भीतर ही दिनांक 25-08-2023 को अनुमोदित किया गया है | इससे स्पष्ट है कि बजट प्राक्कलन तैयार करने में कितना विलम्ब दिखाया गया है | वित्तीय वर्ष आरम्भ होने के लगभग पाँच माह पश्चात् बजट अनुमोदित करवाने से यह सारी प्रक्रिया ही निरर्थक हो जाती है |

8.5) बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता

गत उप-अनुछेद (8.2) में दिए गये वर्ष 2023-24 के प्रस्तावित बजट अनुमानों तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के आंकड़ों के अवलोकन से स्पस्ट है कि नगर परिषद अपने प्रस्तावित बजट लक्ष्यों को

प्राप्त करने से कोसों दूर है | यदि इस वर्ष के स्वय-स्त्रोतों से आय के बजट अनुमानों व वास्तविक आय की तुलना की जाए तो 38.90% की कमी पाई गई है | इस बजट को अनुमोदित करते हुए निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यालय पत्र संख्या 6 में आय के संसाधनों को बढ़ाने तथा सम्पूर्ण वसूली सुनिश्चित करने बारे निर्देश दिये गये है, परन्तु वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि परिषद द्वारा या तो इनकी अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु प्रयत्न नहीं किए जा रहे अथवा प्रस्तावित लक्ष्य ही अव्यवहारिक निर्धारित किये गये थे | इसी प्रकार यदि व्यय की तुलना की जाये तो इसमें भी या तो अव्यवहारिक लक्ष्य निर्धारित किये गये थे अथवा अकर्मण्यता व निष्क्रियता के कारण नगरवासियों को अपेक्षित सुविधाएं देने में नगर परिषद विफल रही है |

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणियों से स्पष्ट है कि नगर परिषद घुमारवीं द्वारा बजट जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गम्भीरता से न लेकर हल्के में लिया जाता है तथा इसके महत्व को लेकर किसी प्रकार की गंभीरता का भाव नहीं है | अतः इस बारे में वस्तु स्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

9 नगर परिषद के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण :-

नगर परिषद घुमारवीं के गत तीन वर्षों के कुल आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से था :-

वित्तीय वर्ष	**आय (स्व: स्त्रोत + अनुदान + ब्याज) (₹)**	**व्यय** (₹)
2021-22	43006586	47277586
2022-23	50312447	42227778
2023-24	83045162	38760326

10 आय के अंकेक्षण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ :-

नगर परिषद घुमारवीं द्वारा अवधि 04/2023 से 03/2024 तक में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताओं को निम्नानुसार वर्णित किया गया है :-

10.1) गृहकर की बकाया राशि ₹110.08 लाख वसूली हेतु शेष :-

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा **(परिशिष्ट – च)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 तक गृहकर के रूप में **₹**1,10,08,358/- की वसूली शेष थी | हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत रहती है, तो सम्बन्धित नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा| नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भी नगर परिषद को भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर

सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई | उपरोक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 56/25 दिनाकं 24.03.2025 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या न. एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर की वसूली हेतु लगातार प्रयास किये जा रहे हैं | अत: इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि गृह कर की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाये व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**कुल योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**अंत शेष (₹)**
2023-24	96,28,071	71,32,679	1,67,60,750	57,52,392	1,10,08,358

10.2) गृहकर की बकाया राशि पर सरचार्ज न लगाने के कारण ₹11.00 लाख की वित्तीय हानि :

निदेशक शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या UD-H(B)(15)-4-99 दिनांक 20-06-03 के अनुसार चालू वर्ष का गृहकर का बिल जारी होने के उपरांत 10 दिनों के भीतर कर जमा करवाने पर कर की राशि पर 20% की छूट दी जानी अपेक्षित थी, परन्तु निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करवाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज लगाया जाना अपेक्षित था, अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा छूट तो दी गई थी परन्तु निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करवाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज नहीं लगाया गया था, जिसके कारण नगर परिषद को दिनाकं 31.03.24 को गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि **₹**1,10,08,358/- पर 10% सरचार्ज के रूप में **₹**11,00,836/- **(**1,10,08,358 ×10%) की वित्तीय हानि उठानी पड़ी, जोकि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है | उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 53/25 दिनांक 22.03.2025 के अंतगर्त कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि नगर पालिका अधिनियम 1994 का वर्ष 2012 में संशोधन के उपरांत गृहकर के स्थान पर सम्पतिकर कर दिया गया है व सरचार्ज सम्पति कर पर नहीं

ANNUAL REPORT

लगाया जा रहा है। प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं है क्योंकि सम्पति कर पर सारचार्ज न लगाने बारे शहरी विभाग द्वारा जारी किए गये कोई भी आदेश / निर्देश अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये। अत: सरचार्ज न लगाने बारे वांछित निर्देश आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएँ अन्यथा समय पर गृहकर न चुकाने वाले गृहकरदाताओं की बकाया राशि पर नियमानुसार सरचार्ज निर्धारित करके वसूला जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

10.3) गृह कर की बकाया शेष राशि का ₹86.91 लाख केवल 43 गृहकर दाताओं से ही वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान गृह कर की कुल बकाया राशि ₹1,10,08,358/- में से ₹86,91,010/- की राशि केवल 43 गृह करदाताओं से ही वसूली हेतु शेष थी, जबकि नगर परिषद द्वारा सभी मूलभूत सुविधाएं समय-समय पर वहाँ के नागरिको को उपलब्ध करवाई जा रही हैं | दिनांक 31.03.24 तक गृह कर दाताओं की ₹1,10,08,358/- वसूली हेतु गृह कर की बकाया राशि में से सलंग्न **(परिशिष्ट-छ)** अनुसार केवल 43 गृह कर दाताओं से ₹86,91,010/- वसूली हेतु शेष थे, जोकि कुल बकाया राशि का 78.95% है | वसूली न करने के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 67/25 दिनांक 27.03.25 द्वारा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या न. एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई / वसूली कर ली जाएगी |

ANNUAL REPORT

10.4) नए भवनों के गृहकर का निर्धारण न करने के कारण परिषद को राजस्व हानि :-

सलंग्न **(परिशिष्ट- ज)** में संकलित सूचना के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 19 नंबर नव-निर्मित भवनों के मालिकों को बिजली / पानी के कनैक्शन प्राप्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.) जारी किये गये थे, परंतु इन नव-निर्मित भवनों का न तो गृहकर निर्धारित किया गया था और न ही गृहकर की कोई भी वसूली की गई जबकि यह हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल अधिनियम 1994 के नियम 65 और 67 के अंतर्गत गृहकर लगाना और वसूली करना अपेक्षित था। नगर परिषद द्वारा गृहकर का निर्धारण न करना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है तथा यह नगर पालिका अधिनियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 78/25 दिनांक 01.04.25 द्वारा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या न. एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा सूचित

किया गया कि परिषद का गृह कर से सम्बंधित सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है जिसमें सभी भवनों का सर्वेक्षण हो रहा है। अत: इस सन्दर्भ में परामर्श दिया जाता है कि परिषद् का गृहकर से सम्बंधित सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने पर शीघ्र गृहकर की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग अवगत करवाया जाए।

10.5) गृहकर दाताओं से प्राप्त ₹0.26 लाख गृह कर का इन्द्राज सम्बन्धित खातों में न करने बारे

संलग्न **(परिशिष्ट-झ)** अनुसार नमूना अंकेक्षण पड़ताल में पाया गया कि गृहकर दाताओं से प्राप्त गृह कर की राशि को उनके व्यक्तिगत खातों में इन्द्राज नहीं किया गया था परिणामस्वरुप उनसे प्राप्त सम्पति कर का इन्द्राज न करने के कारण उनके खाते में बकाया सम्पति कर वास्तविक राशि की तुलना में अधिक दर्शाया गया। ऐसे सभी प्रकरणों में कुल ₹26,004/- की राशि कम दर्ज की गई, जिसका इन्द्राज शीघ्र करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 68/25 दिनांक 28.03.25 द्वारा आग्रह किया गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या न. एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि परिषद द्वारा सम्बंधित खातों में इन्द्राज कर दिया गया है जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया है।

10.6) दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹6.31 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा (**परिशिष्ट - ञ)** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.24 तक दुकानों के किराये के रूप में ₹6,30,965/- की वसूली शेष थी। हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के अनुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी यह आय अदत रहती है, तो सम्बन्धित नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी लिखित रूप से सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर भी नगर परिषद को भुगतान नहीं करता है, तो सम्बन्धित कार्यकारी अधिकारी देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवं विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद द्वारा इस संदर्भ में आज तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 52/25 दिनांक 22.03.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र

संख्या न. एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि परिषद् द्वारा दुकानों के किराये की वसूली हेतु पत्राचार करके लगातार प्रयास किये जा रहे हैं | अत: परामर्श दिया जाता है कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार कार्यवाही करनी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	कुल योग (₹)	प्राप्ति (₹)	अंत शेष (₹)
2023-24	6,20,549	4,53,588	10,74,137	4,43,172	6,30,965

10.7) दुकानदारों से प्रतिभूति राशि ₹3.20 लाख की वसूली न करने बारे

दुकानों से सम्बन्धित प्रस्तुत विभिन्न अभिलेखों का अंकेक्षण में अवलोकन करने पर पाया गया कि दुकानदारों के साथ नगर परिषद द्वारा शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या LSG-F(6)-1/85-IV दिनांक 21.12.2001 तथा निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H (A) (3)-6/88 दिनांक 20.02.2002 की अनुपालना में जारी दिशा-निर्देशों अनुसार नगर परिषद द्वारा दुकानों के नये अनुबंध तैयार किये गये थे परन्तु नगर परिषद की कुल 43 दुकानों में से केवल 11 दुकानदारों से प्रतिभूति राशि की वसूली की गई थी जबकि **सलंग्न (परिशिष्ट-ट)** अनुसार 32 दुकानदारों से **₹3,20,000/-** (10,000/-प्रति दुकान) प्रतिभूति राशि की वसूली नहीं की गई थी। अतः उपरोक्त पत्रानुसार/अधिसूचना अनुसार जारी निर्देशों की अनुपालना में दुकानों की प्रतिभूति राशि की वसूली न किये जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिसूचना अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 66/25 दिनांक 27.03.2025 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 में अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नगर परिषद द्वारा दुकानें एवं स्टाल नियमों के लागु होने से कई वर्ष पूर्व आबंटित की गई है उस समय प्रतिभूति राशि का कोई प्रावधान नहीं था | प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नगर परिषद द्वारा सलंग्न **परिशिष्ट-ट** अनुसार, 32 न. दुकानों का आबंटन व अनुबंध दिनांक 09-08-2002 के बाद किया गया था , जबकि दुकानों के आबंटन बारे दिशा-निर्देश निदेशक, शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H (A) (3)-6/88 दिनांक 20.02.2002 को जारी कर दिये गए थे जिस बारे प्रतिभूति राशि की वसूली न करने का औचित्य वस्तुस्थिति सहित स्पष्ट किया जाए।

10.8) मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹2.76 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण में प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर परिषद की दिनांक 31.03.24 को सलंग्न **(परिशिष्ट-ठ)** एवं निम्न विवरणानुसार मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क राशि **₹2,76,370/-** वसूली हेतु शेष थी | प्रधान सचिव, सूचना प्रोद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या DIT.Dev-(IT)2005(Misc.)-96 दिनांक 21/06/2017 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में यदि मोबाईल कम्पनियां अपने टावर लगाती है, तो उनसे **₹25000/-** टावर स्थापना शुल्क तथा **₹12500/-** प्रति वर्ष नवीनीकरण शुल्क वसूल किया जाना अपेक्षित था तथा Right of way policy – 2021 के Chapter 2 Clause 6 (G) तथा सूचना एवं तकनीकी विभाग की अधिसूचना संख्या I.T(F)1-1/2020 dated 09.02.2021 अनुसार There is only provision of clearing all the outstanding Urban Department Tax or any other dues payable upon the land and building applied for installation of telegraph infrastructure. की अनुपालना में दिनांक 31.03.2024 तक जो राशि वसूली हेतु शेष थी, को नगर परिषद द्वारा वसूली हेतु कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी | उक्त वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 63/25 दिनांक 25.03.2025 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ लाई गई जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई/ वसूली कर ली जाएगी | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार तुरंत ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए |

10.9) घर-घर कूड़ा संग्रहण के रूप में ₹22.80 लाख की कम वसूली करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि 01.04.23 से 31.03.24 तक के दौरान नगर परिषद के क्षेत्र में स्थापित घर, दुकानें, सरकारी कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, बैंक, होटल व ढाबे कूड़ा संग्रहण के रूप में **निम्न विवरणानुसार** तथा **सलंग्न (परिशिष्ट -ड) अनुसार** वसूली योग्य राशि **₹24,72,660**/- बनती थी, जिनमें से नगर परिषद द्वारा घरों से ही **₹1,92,500**/- वसूली की गई जबकि वसूली हेतु **₹22,80,160**/- राशि शेष थी, जिसकी वसूली बारे नगर परिषद द्वारा कोई भी पग नहीं उठाये गए थे | परिणाम स्वरूप नगर परिषद को एक बड़ी राशि के रूप में प्राप्त होने वाली आय से वंचित होना पडा, जिसका औचित्य स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 58/25 दिनांक 24.03.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद से आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या न.

ANNUAL REPORT

एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को स्पष्ट किया गया कि नगर परिषद क्षेत्र घुमारवीं में 60 % लोग ग्रामीण परिवेश में रहते है। वह अपने कूड़े कचरे का निष्पादन अपने स्तर पर अपने खेतों में कर लेते हैं और सूखे कचरे का निष्पादन अपने चूल्हों में कर लेते हैं जिस कारण वह कचरा नगर परिषद को नहीं देते है जिस कारण नगर परिषद बिना कचरा लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जा सकता है, शुल्क उसी स्थिति में लिया जा सकता है जब कोई सुविधा का दस्तावेज दिया जाता हो अन्यथा शुल्क लिया जाना नियमों के विरुद्ध है प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नगर परिषद् की कार्यवाही बैठक संख्या 148/31 द्वारा Door to Door Collection and Disposal Bye Laws 2018 पर विचार किया गया तथा सदन द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित घर, दुकानें, बैंक, सरकारी एवं गैर सरकारी व्यावसायिक एवं शिखन संस्थानों से कूड़ा करकट एकत्रित करने की दरें निर्धारित एवं अनुमोदित की गई थीं तथा इसमें किसी भी तरह की छूट का उल्लेख नहीं किया गया था और जिसे कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् घुमारवीं द्वारा अपने पत्र संख्या : एम.सी.जी/बैठक/ 2017- 2426-2428 दिनांक 22.12.2018 द्वारा हिमाचल प्रदेश राजपत्र में अधिसूचित करवाने हेतु भेजा गया जिससे यह दरें दिनांक 01.01.2019 से पूरे नगर परिषद क्षेत्र में लागू मानी जायेगी। अत: कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर उचित नहीं है, परिणामस्वरुप बकाया कूड़ा एकत्रीकरण शुल्क की वसूली शीघ्र करके परिषद लेखों में जमा करवाई जाए। इसके अतिरिक्त अवलोकन पर यह भी पाया गया कि एक बड़ी राशि वसूली हेतु शेष है तथा तथा इसमें वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही है | अतः वसूली हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए |

मद का नाम	**दिनांक 1.04.23 को आरम्भिक शेष (₹)**	**अधिसूचना में निर्धारित दरों अनुसार मांग (₹)**	**कुल योग (₹)**	**वसूल की गई राशि (₹)**	**कम वसूल की गई राशि (₹)**
घर,दुकाने,बैंक,विद्यालय,ढावें, उद्योग इत्यादि		7,90,860	16,81,800	24,72,660	1,92,500	22,80,160

10.10) सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त शुल्क ₹520/- को सरकारी कोष में जमा न करना

नगर परिषद के अंकेक्षण अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत **(सलंग्न परिशिष्ट - ढ)** अनुसार सूचना का अधिकार के नियम-2006 के नियम 5 तथा अतिरिक्त निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(A)(3)-2/2005-IV-1312-1372 दिनांक 29-04-2023 की अनुपालना में आर.टी.आई शुल्क के क्रमशः वर्ष 2023-24 ₹520/- को सरकारी कोष के Head "0070-60-118-011"(Receipt From Right to Information Act.) में जमा न करवाकर नगर पंचायत द्वारा अपने स्वयं स्त्रोत लेखों में जमा

करवाया गया | वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या 61/25 दिनांक 24.03.25 के अंतर्गत नगर परिषद के ध्यानार्थ वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी जिसके प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई / वसूली कर ली जाएगी |

10.11) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करना :-

नगर परिषद द्वारा समाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)1/97 दिनांक 17.12.2004 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश **विवाह पंजीकरण** नियम 2004 द्वारा जारी नियम 9 व अधिसूचना संख्या SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश **विवाह पंजीकरण (संशोधन)** नियम 2016 के नियम 3 अनुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क राजकीय कोष में मद 0235-00-800-03 में जमा करना अपेक्षित है अवधि 2023-24 में विवाह पंजीकरण हेतु शुल्क राशि ₹7225/- **(परिशिष्ट – ण** अनुसार**)** बनती है तथा जिसकी वसूली न करना अनियमित है । उक्त अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 62/25 दिनांक 24.03.2025 के अंतर्गत नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई / वसूली कर ली जाएगी |

10.12) बिजली बोर्ड से देय बिजली उपकर की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल.एस.जी.-(डी)(1)-9/94 दिनांक 01.12.99 एवं हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल अधिनियम की धारा 69 के अनुसार नगर परिषद द्वारा अपने परिक्षेत्र में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से बिजली उपकर हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड से वसूल किया जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर परिषद को अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 के दौरान बिजली शुल्क की कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई थी, जोकि एक गम्भीर अनियमितता है तथा यह प्रकरण तुरंत बिजली बोर्ड से उठाया जाए तथा उक्त अवधि के दौरान देय बिजली शुल्क की राशि को बिजली खपत के पूर्ण विवरण सहित प्राप्त करने के अतिरिक्त अपेक्षित मांग व प्राप्ति रजिस्टर का उचित संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 49/25 दिनांक 13.03.25 द्वारा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438

दिनांक 03.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कार्रवाई/ वसूली कर ली जाएगी |

10.12 (I) शराब उपकर की वसूली न करना:-

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या यू. एल. बी. – एच. (सी) (9)-1, दिनांक 1.12.99 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र के अन्दर शराब के ठेकों से बिकने वाली शराब की बोतलों पर एक रूपए प्रति बोतल की दर से आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा सम्बन्धित स्थानीय निकायों को शराब उप कर भुगतान किया जाना था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान आबकारी एवं कराधान विभाग से नगर परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये की दर से शराब की वसूली नहीं की गई थी | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 50/25 दिनांक 13.03.25 द्वारा वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने का आग्रह किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् आवश्यक कारवाई / वसूली कर ली जाएगी |

(II) शराब उप कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद घुमारवीं द्वारा स्वतः स्पष्ट शराब उप-कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आबकारी एवं कराधान विभाग घुमारवीं हिमाचल प्रदेश से वर्ष अनुसार शराब उपकर की कितनी राशि प्राप्त की जानी अपेक्षित थी, कितनी राशि प्राप्त की गई है व कितनी राशि दिनांक 31.03.2024 तक लेनी शेष थी। अतः स्वतः स्पष्ट शराब उप कर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर शीघ्र तैयार किया जाए व रजिस्टर में वर्ष अनुसार शराब उप कर की मांग एवं प्राप्ति का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाए। कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(III) नगर परिषद के अंतर्गत गली विक्रेताओं से लाइसेंस शुल्क तथा वसूल की गई तह बाजारी का अभिलेख प्रस्तुत करने बारे

अवधि 04/2023 से 03/2024 तक वसूल लाइसेंस शुल्क तथा तह बाजारी से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/25 दिनांक 20.01.2025 द्वारा तैयार करने तथा उक्त से सम्बन्धित अभिलेख अधियाचना संख्या 73/25 दिनांक 01.04.2025 द्वारा अंकेक्षण में शीघ्र प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या

एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा सूचित किया गया कि अभिलेख सम्बंधित आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

11 स्थापना

11.1) कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करना :-

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 के नियम 7.14 एवं 7.15 के प्रावधानों के अनुसार सेवा पंजिकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित विवरण जैसे कि अर्जित अवकाश, स्वीकृति आदेश, वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश, सेवाकाल सत्यापन की प्रविष्टि दर्ज की जानी अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा निम्न वर्णित प्रकरणों सहित अन्य इसी प्रकार के सभी प्रकरणों में कार्यवाही करके अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए | उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/25 दिनांक 24.03.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वांछित कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है, जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

Sr. No	Name of employee	Designation	Period for which earned leave account not completed	Period for which H.P.L. leave account not completed
1	श्री महेंद्र सिंह	कार्य निरीक्षक	01.07.2023 to 31.03.2024	01.07.2023 to 31.03.2024
2	श्री रविंदर दत्त	चौकीदार	01.01.2023 to 31.03.2024	01.01.2023 to 31.03.2024
3	श्री हंस राज	सेवादार	NIL	01.01.2023 to 31.03.2024
4	श्री गोविन्द राम	सफाई सेवक	01.01.2023 to 31.03.2024	01.01.2023 to 31.03.2024
5	श्री श्याम लाल	सेवादार	NIL	01.01.2023 to 31.03.2024
6	श्री सुरजीत सिंह	बेलदार	01.01.2024 T0 31.03.2024	01.01.2023 T0 31.03.2024

11.2) कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम 1971 के नियम 7.14 एवं 7.15 के प्रावधानों के अनुसार सेवा पंजिकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित विवरण जैसे कि अर्जित अवकाश, स्वीकृति आदेश, वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश, सेवाकाल सत्यापन की प्रविष्टि दर्ज की जानी अपेक्षित है किन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में सेवा पंजिकाओं का रख-रखाव नियमानुसार न करने को न्यायोचित ठहराने बारे उक्त वर्णित अनियमितता को अंकेक्षण अधियाचना संख्या 60/25 दिनांक 24.03.25 के अंतर्गत कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपने पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अधियाचना पर कार्रवाई करते हुये अवकाश खातों को पूर्ण कर लिया गया है, जिसका सत्यापन अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

क्रम संख्या	कर्मचारी का नाम	पद	टिप्पणी
1.	जय लाल	सामुदायिक समन्वयक	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
2.	श्री महेंद्र सिंह	कार्य निरीक्षक	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
3.	श्री कुलदीप चौहान	कनिष्ठ सहयाक	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
4.	श्री मनोज कुमार	लिपिक	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
5.	श्री रविंदर दत्त	चौकीदार	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
6.	श्री श्याम लाल	सेवादार	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
7.	श्री हंस राज	सेवादार	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
8.	श्री गोविन्द राम	सफाई सेवक	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24

9.	श्री क्रिशन पाल	सफाई सेवक	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
10.	श्री मुकेश कुमार	सफाई सेवक	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24
11.	श्री कालू राम	सफाई सेवक	Annual Increment order not mentioned in Service book for the period 2023-24

12 अग्रिम:-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 16/25 दिनांक 20-01-2025 के सन्दर्भ में **(परिशिष्ट-फ)** उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार ₹ 2,69,862/- का भुगतान / अग्रिम सदस्य सचिव SCSTE कसुम्पटी शिमला -09 को नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित घर, दुकानें इत्यादि की GIS Mapping करवाने हेतु किया गया था जिसका अंकेक्षण समाप्ति तक समायोजन नहीं हुआ था।

13 व्यय सम्बन्धी अनिमितताएँ

13.1) सफाई व्यवस्था के अनुबंध में एवं अन्य पाई गई अनियमितताओं बारे

नगर परिषद घुमारवीं के अवधि 04/2023 से 03/2024 के व्यय नमूना अंकेक्षण पड़ताल में पाया गया कि परिषद द्वारा शहर की सफाई व्यवस्था के लिए ठेका पद्दति को अपनाते हुए कार्य करवाया गया | सफाई के लिए किए गये व्यय वाउचरों का अवलोकन करने पर निम्न आपत्तियाँ पाई गई :-

1) परिषद द्वारा अवधि 01.09.2023 से 31.08.2024 तक सफाई व्यवस्था का कार्य करवाने के लिए दो अनुबंध किए गये जिनके अंतर्गत 12 – 12 नम्बर कर्मचारियों की तैनाती की गई थी | अतः एक ही कार्य के लिए दो अनुबंध क्यों किए गये ?

2) अनुबंध करने से पूर्व परिषद द्वारा कोई भी justification of rates तैयार नहीं किए गये थे | बिना justification of rates के अभाव में आबंटित अनुबंध राशि को उचित नहीं माना जा सकता |

3) वाउचर संख्या 280 व 281 दिनांक 04.03.2024 द्वारा क्रमशः ₹1,65,000 व 1,55,000 का भुगतान किया गया परन्तु भुगतान वाउचर के साथ कर्मचारियों की सत्यापित उपस्थति शीट संलग्न नहीं थी | बिना उपस्थिति की पड़ताल किए ठेकेदारों को सभी कर्मचारियों का पूरे माह के किए गए भुगतान की पड़ताल नहीं की जा सकी | अतः कर्मचारियों की उपस्थिति की सत्यापना की पड़ताल किए बिना

ठेकेदारों को किया गया भुगतान उचित नहीं माना जा सकता तथा ठेकेदारों द्वारा मासिक भुगतान तथा शिकायत रजिस्टर का अनुरक्षण भी नहीं किया गया था।

उपरोक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत किए गये व्यय बारे वस्तु स्थिति से तथ्यों सहित अंकेक्षण को अवगत करवाने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 64/25 दिनांक 26.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि दोनों ही कार्य अलग – अलग प्रवृति के थे जिस कारण दो टेण्डर किए गये। कार्य की जस्टीफिकेशन तैयार कर दी गई है। उपस्थिति की अनुपालना आरम्भ कर दी गई है। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि दोनों कार्य सफाई व्यवस्था से सम्बंधित थे और एक जैसे कार्य को दो भागों में बाँटना उचित नहीं था जिसका औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए जबकि जस्टीफिकेशन को अंकेक्षण में पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया और यह कार्य का आबंटन प्रक्रिया से पूर्व तैयार की जानी वांछित थी।

13.2) नगर परिषद क्षेत्र में सम्पति कर / गृह कर के आंकलन एवं प्राप्ति का सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु AGISAC-HIMCOSTE को ₹ 0.67 लाख का अधिक भुगतान बारे व ₹ 4.00 लाख का अनियमित भुगतान :-

अवधि 04/2023 से 03/2024 में किए गये व्यय की नमूना अंकेक्षण पड़ताल में पाया गया कि नगर परिषद क्षेत्र में GIS based Mapping & Survey करवाने के लिए **AGISAC-HIMCOSTE,** शिमला – 9 को उनके पत्र संख्या 1289 दिनांक 30.01.2024 द्वारा परिषद की Mapping & Survey करवाने के लिए वाउचर संख्या 282 दिनांक 04.03.2024 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव (Proposal) ₹6,74,665/- का निम्न विवरणानुसार 40% राशि ₹2,69,862/-(6,74,655 × 40/100) का भुगतान किया गया :-

Particulars		Amount (in Rs.)
Drone Surey @35000/- per KM² • Aerial Survey • Orthoretified Mosaic Image		**1,75,000.00**
GIS Based Mapping @7350/- per KM2 • Building Footprints Mapping • Road/Street Mapping • Land Use/Land Cover Mapping	36,750.00	**3,76,750.00**
Property Survey @150/- per Property • MC Infrastrucre & Asset Mapping • Door to Door Property Survey Using GIS Maps	3,00,000.00	
Database Creation/Compilation • Final Map Layout • Web GIS Interface	30,000.00	

• Data Entry in E-Sampati Portal	10,000.00	
Print Stationary & Miscellaneous Expenses		**20,000.00**
GST @18%		**1,02,915.00**
Total		**6,74,655.00**

अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त प्रस्ताव में ड्रोन सर्वे में पाँच वर्ग किलोमीटर नगर परिषद का क्षेत्र के अनुसार आंकलन किया गया है जबकि नगर परिषद का क्षेत्र 3.10 वर्ग किलोमीटर है जैसा कि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद घुमारवीं द्वारा अपने पत्र संख्या नपं/घुमारवीं/जनगणना/2018-239 दिनांक 05-02-2019 द्वारा निदेशक जनगणना कार्य हिमाचल प्रदेश शिमला -01 को अवगत करवाया गया था | जिनमें परिषद् के वार्डों की कुल संख्या 07 थी तथा वर्तमान में भी वार्डों की संख्या 07 है। इस प्रकार 1.90 वर्ग किलोमीटर का फर्म को ₹66,500/- (1.90 ×35,000/-व.कि.मी.) का अधिक भुगतान किया गया |

इसके अतिरिक्त पड़ताल करने पर पाया गया कि पूर्व में भी परिषद द्वारा सम्पति कर / गृह कर के आंकलन एवं प्राप्ति का सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु भी Jaago Foundation (Service Provider org.), Kangra Road Jawalamukhi, Distt. Kangra को अवार्ड पत्र संख्या एम.सी.जी./वर्क आर्डर/2022-1822 दिनांक 10.10.2022 द्वारा निम्न विवरणानुसार कार्य आबंटित किया गया था :-

Sr.No.	Name of Item	Unit	Rate (₹)
1	GIS based Property Tax Survey/ House Tax Survey / data update/ Data Collection.	Per Property	249/-
2	Development of Property Tax Software/ House Tax payment Gateway/Tax Collection.	Per Unit	75,000/-

उक्त फर्म द्वारा परिषद को दो बिल संख्या Jaago/HT/2022-23/24 Dated 19.12.2022 व Jaago/HT/2022-23/26 Dated 19.12.2022 राशि क्रमशः ₹3,27,735/- व ₹4,86,297/- भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गये थे, जिनमें से परिषद द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि फर्म को वाउचर संख्या 329 दिनांक 15.03.2023 द्वारा केवल ₹4,00,000/- का भुगतान कर दिया है। अतः एक ही कार्य को दो फर्मों से करवाने तथा ₹4,66,500/-(66,500 + 4,00,000) का अधिक व अनियमित भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 65/25 दिनांक 26.03.2025 द्वारा आग्रह किया गया जिसके प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनःसर्वेक्षण सरकार की एजेंसी AGISAC (एजीसेक) से

करवाया जा रहा है | उतर संतोषजनक नहीं है क्योंकि नगर परिषद का सर्वेक्षण कार्य पहले से ही Jaago Foundation (Service Provider org.) Kangra Road Jawalamukhi, Distt. Kangra से ही लगभग करवाया जा चुका था | इस प्रकार उसी कार्य को दोबारा करवाना परिषद निधि का दुर्विनियोजन है जबकि उक्त कार्य में परिषद द्वारा कोई भी कमी नहीं पाई गई थी और न ही कमी बारे कोई भी कार्यवाही फर्म के विरूद्ध की गई थी। अत: अनियमित रूप से किए गए भुगतान का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13.3) समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशन पर 15% एजेंसी छूट प्राप्त न करने पर नगर परिषद राजस्व ₹0.11 लाख की हानि बारे

DAVP सूचना व प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार व विभिन्न समाचार पत्रों के प्रकाशकों के मध्य हुए अनुबंध के अनुसार सभी सरकारी संस्थान विभिन्न विज्ञापन प्रकाशन हेतु अनुबंधित प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर पर 15% की छूट लेने हेतु पात्र है तथा निदेशक, सूचना व जन संपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या I&PR-H(F)6(Advts)/2013-29-71 Dated 05.07.2013 अनुसार कार्यवाही करना अपेक्षित था | नगर परिषद द्वारा 15% छूट का लाभ न उठाने के कारण सलंग्न (**परिशिष्ट-त**) अनुसार ₹10,925/- का अधिक भुगतान किया गया था तथा सरकार के राजस्व की भी हानि हुई थी| अतः विज्ञापन के मामलों में उपरोक्त वर्णित अनुसार कार्यवाही न करने का औचित्य स्पष्ट करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 79/25 दिनांक 01.04.2025 द्वारा आग्रह किया गया जिसका कोई भी प्रतिउत्तर अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं दिया गया |

13.4) नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अवधि दौरान Government e-Marketplace (GeM) Portal से क्रय न करने बारे ।

नगर परिषद की अंकेक्षण अवधि 2023-2024 दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)Gem-/2018-eMarket Place (Gem)-26587-648 दिनांक 22.8.2022 के अनुसार "All ULBs in the State are brought on the Government e-Marketplace (GeM) portal at the earliest" की अनुपालना में क्रय किया जाना वांछित था परन्तु अवलोकन करने पर पाया गया कि नगर पंचायत GeM Portal पर पंजीकृत तो थी परन्तु उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए अंकेक्षण अवधि दौरान/हेतु समस्त क्रय Government e-Market Place (GeM) से न करते हुए खुले बाजार से किया गया | अतः GeM Portal से क्रय न करने बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति व नगर परिषद के दृष्टिकोण से अंकेक्षण को अवगत करवाने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 54/25 दिनांक 22.03.2025 के प्रत्युत्तर में नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा सूचित किया

गया कि नगर परिषद द्वारा GeM Portal से जो सामग्री क्रय की गई वह बहुत ही निम्न स्तर की पाई गई, जोकि 3 माह में ही ख़राब हो गई। नगर परिषद् द्वारा उसके उपरांत GeM Portal से सामग्री खरीदना उचित नहीं है। इससे सामग्री खरीदना नगर परिषद की निधि का दुरूपयोग ही माना जा रहा है। इस सन्दर्भ में दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि GeM Portal से क्रय करना निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)Gem-/2018-eMarket Place (Gem)-26587-648 दिनांक 22.8.2022 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरीत है तथा GeM Portal से क्रय करना हिमाचल प्रदेश सरकार का स्वीकृत माध्यम है। अगर GeM Portal से क्रय की गई सामग्री में कोई कमी अथवा तय समय में कोई खराबी आती है तो इस बारे शिकायत GeM Portal पर ही दर्ज करवाई जा सकती है। अत: GeM Portal से क्रय न करना नियमों के विरूद्ध तथा विभाग द्वारा जरी दिशा निर्देशों की अवहेलना है जिस बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए

14 निर्माण कार्य

14.1) निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक/कम विचलन को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवाकर किया गया अनियमित भुगतान :-

सलंग्न **(परिशिष्ट–थ)** अनुसार नगर परिषद् घुमारवीं द्वारा C.P.W.D. कोड 2014 के पैरा 24.1.2 ए के प्रावधानों तथा निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या UD.H(F)(1)/2000-Instructions10698-10746 दिनांक 24.09.2005 के अनुसार अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य के निष्पादन में आए कम / अधिक विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के पश्चात् ही भुगतान किया जाना अपेक्षित था, परन्तु नगर परिषद घुमारवीं द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान निष्पादित करवाये गये निर्माण कार्यों के बिलों की नमूना अंकेक्षण में पाया गया है कि वर्णित प्रकरणों में कुल कार्य निष्पादित अवार्ड राशि से कम अथवा अधिक राशि के लिये हुआ है तदापि इनके अन्तिम बिलों का भुगतान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन/नियमितिकरण के बिना ही किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है | इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 70/25 दिनांक 28.03.25 के प्रतिउत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि विचलन की स्वीकृति नगर परिषद के सदन द्वारा कार्यों को मौका स्थिति को देखते हुए कम और ज्यादा व्यय की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है परन्तु सदन के अनुमोदन से सम्बंधित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

14.2) निर्माण कार्यों का देरी से निष्पादित तथा नियमानुसार निर्धारित दण्ड राशि ₹0.30 लाख की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य बिलों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न तालिका **सलंग्न (परिशिष्ट-द)** में वर्णित निर्माण कार्यों का निष्पादित कार्य आबंटन पत्र में निर्धारित समयावधि की अवहेलना करते हुये देरी से पूर्ण किया गया। कार्य निष्पादन हेतु हस्ताक्षरित अनुबंध की शर्त 2 (Clause 2 of the agreement) के अनुसार संविदाकार द्वारा कार्य निष्पादन में देरी करने पर निर्माण कार्य हेतु आबंटन राशि को 1% से 10% की दर से दण्ड वसूल किया जाना अपेक्षित था। परन्तु इन कार्यों के निष्पादन में न तो संविदाकार को नियमानुसार समय बढ़ौतरी दी गई और न ही निर्धारित ₹30000/- की दण्ड राशि को वसूल किया गया। इस सन्दर्भ में नगर परिषद को अपने दृष्टिकोण से औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 75/25 दिनांक 01.04.2025 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउतर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि आवश्यक कार्रवाई/ वसूली कर ली जायेगी।

14.3) निर्माण कार्य बिल में संविदाकार को ₹0. 01 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण में निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹1368/- का अधिक भुगतान गलत गणना के कारण किया गया है जिसे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति व नगर परिषद के दृष्टिकोण से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाए|

(i) गणना में चूक के कारण ₹1368/- का अधिक भुगतान

कार्य का नाम	Proposed MC store at near Rain Bsera Ghumarwin.
ठेकेदार	Sh. Vikrant Thakur Govt.Contractor
ठेका आबंटन पत्र संख्या	No/MCG/works/22-23/2154 dated 15.12.2023.
माप पुस्तिका संख्या	46, पृष्ठ संख्या 38-45
वाउचर संख्या व दिनांक	286 दिनांक 15.03.2024

क्रम संख्या	मद संख्या	मद का नाम	भुगतान दर (₹)	भुगतान की गई मात्रा (₹)	वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अधिक भुगतान मात्रा (₹)	कुल अधिक भुगतान (₹)
1	3	Reinforcement CC1:1.5:3 etc.	7200/- घ.मी.	1.74 घ.मी.	1.55 घ.मी.	0.19 घ.मी.	1368
						कुल योग	**1368**

उपरोक्त उल्लेखित निर्माण/मुरम्मत कार्यों में संविदाकारों को गणना में त्रुटि के कारण किए गए अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 77/25 दिनांक 01.04.2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउतर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि आवश्यक कार्रवाई / वसूली कर ली जायेगी।

14.4) निर्माण कार्य बिलों में रॉयल्टी की कटौती न करना:-

हमारे प्राकृतिक संसाधनों व सीमित मात्रा में उपलब्ध खनिजों के संरक्षण एवं दोहन हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर नियम तथा निर्देश जारी किए गये हैं | इसी कारण इनके अवैध खनन तथा प्रयोग के विरुद्ध दण्ड का प्रावधान भी है | किसी भी निर्माण कार्य में प्रयोग किए जा रहे क्षुद्र खनिजों जैसे रेत, बजरी, पत्थर, मिट्टी, ईंट इत्यादि का उत्खनन किसी वैध स्त्रोत से किया गया है अथवा नहीं इसके प्रमाण के रूप में वैध खदान/क्रशर लाईसेंस धारक द्वारा हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) { Himachal Pradesh Department of Industries- Geoligical wing } द्वारा जारी Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2015 के नियम 77 व 79 के अनुसार फॉर्म "डब्ल्यू" (ट्रांजिट पास) तथा फॉर्म "एक्स" (सप्लीमेंट ट्रांजिट पास) {Form "W" (Transit Pass) and Form "X" (Supplementary Transit Pass)} जारी किए जाते हैं | सरकारी राजस्व के एक महत्त्वपूर्ण भाग के रूप में सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीके से किए गये वैध खनन के लिए रॉयल्टी वसूल की जाती है जिसकी दरें उक्त नियमों की दूसरी अनुसूची में प्रतिपादित की गई है |

इसके अतिरिक्त क्षुद्र खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए वर्णित नियमों के अध्याय-7 PREVENTION OF ILLEGAL MINING, STORAGE AND TRANSPORTATION OF MINERALS के नियम 71 व 72 में दण्ड का प्रावधान भी किया गया है |

यदि यह क्षुद्र खनिज सरकार द्वारा अनुमोदित खदान अथवा क्रशर के लाईसेंस धारक का होता है जिसके लिए फॉर्म- डब्ल्यू व एक्स जारी किए जाते हैं व यदि उपयोगकर्ता के पास उक्त फॉर्म उपलब्ध नहीं है तो इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि प्रयोग किए जा रहे क्षुद्र खनिज अवैध स्त्रोत से प्राप्त किए गये हैं|

परन्तु वर्तमान अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा अंकेक्षणावधि में निष्पादित निर्माण कार्यों में प्रयोग किए गये क्षुद्र खनिजों को वैध स्त्रोत से उत्खनन किए जाने के प्रमाण के रूप में बिलों

के साथ फॉर्म "डब्ल्यू" तथा फॉर्म "एक्स"- संलग्न नहीं किए गये है और न ही नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की गई है जिसका विवरण **परिशिष्ट-ध** पर संलग्न है।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 74/25 दिनांक 01-04-2025 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या: एम.सी.एन.डी./ऑडिट/2024-1221 दिनांक 24.08.2024 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों तथा कार्यकारी अधिकारी की जानकारी में विशेषतया लाया जाता है ताकि इस बारे हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग (भूगर्भीय शाखा) के अधिकारियों के साथ चर्चा उपरांत इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करवाई जाये। इसके साथ ही इन सब बिलों से काटी जाने वाली अपेक्षित रॉयल्टी राशि की गणना व वसूली करके उद्योग विभाग को जमा करवाना तथा भविष्य हेतु कार्यप्रणाली में सुधार करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14.5) निर्माण कार्यो में प्रावधित नियमों की अवेहलना तथा सम्बन्धित अभिलेख को तैयार न करना

निर्माण कार्यो के बिलों का चयनित आधार पर अकेंक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 12 में निर्माण कार्य निष्पादन से सम्बंधित प्रावधित नियमों की अनुपालना न करने के दृष्टिगत निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई थी, जिनका यथोचित समाधान करके अपेक्षित अनुपालना से अकेंक्षण को भी अवगत करवाया जाए :-

लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार ठेकेदारों द्वारा टेंडर में भरी गई दरों को बाजारी मूल्य के साथ तार्किकता के आधार पर परखा जाता है (justification of rates is prepared) परन्तु नगर परिषद द्वारा इस महत्वपूर्ण प्रावधान की पूर्ण अवेहलना करते हुए किसी भी निर्माण कार्य के आबंटन से पूर्व (justification of rates) तैयार नहीं किए गए थे।

ठेकेदारों द्वारा टेंडर में दी गई दरों के लिए तैयार तुलनात्मक विवरणी में इनकी तुलना शैडयूल की दरों से करते हुए कम अथवा अधिक्य प्रतिशतता को भी नहीं दर्शाया गया था। (percentage above or below the scheduled rates not being referred in comparative statement of tendered rates)

हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के नियम 201 के अनुसार कार्य की पूर्णता पर सम्बंधित अभियंता द्वारा प्रारूप एम० डब्लयू०-14 पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना आपेक्षित है, परन्तु नगर परिषद द्वारा किसी भी निर्माण कार्य हेतु यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

उपरोक्त त्रुटियों के सन्दर्भ में करवाए गए निर्माण कार्यों को नगर परिषद के दृष्टिकोण से न्यायोचित ठहराने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 69/25 दिनांक 28.03.25 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रतिउतर में कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद ने अपने पत्र संख्या एम.सी.जी./ऑडिट/2022-438 दिनांक 03.04.2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नगर परिषद द्वारा वांछित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त अभिलेख को सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया | अत:सरकार/विभाग द्वारा समय-समय जारी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करना एक गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए |

15 अन्य :-

(i) कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 का कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर का रख-रखाव तो किया गया था परन्तु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान रजिस्टर को अध्यतन (Update) नहीं किया गया था | अतः कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान रजिस्टर को अध्यतन (Update) करने के उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

(ii) शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करना :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति क्रमश ₹7,96,97,225 व व्यय ₹3,87,60,326 दर्शाया गया है, परन्तु वर्णित आय व व्यय की मदवार खाता बहियों को तैयार नहीं किया गया था जिसके कारण अंकेक्षण में यह पुष्टि सम्भव न हो सकी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जिस शीर्ष के अंतर्गत जितनी आय प्राप्त की गई थी क्या वास्तव में उस शीर्ष के अंतर्गत उतनी ही आय प्राप्त की गई है व जिस शीर्ष के अंतर्गत जितना व्यय दर्शाया गया था, वास्तव में उस शीर्ष के अंतर्गत उतना ही व्यय किया गया है | अत: शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ तैयार न करने के उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाएँ |

(iii) बजट रजिस्टर का अनुरक्षण न करना :-

नगर परिषद द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सके | वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट रजिस्टर तैयार किया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किए गए व्ययों को स्वीकृत बजट अनुसार ही व्यय किया गया है अथवा नहीं एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

(iv) न्यायालय में लम्बित मामले :-

नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना अनुसार जिसे सलंग्न **(परिशिष्ट – न)** में दर्शाया गया है माननीय विभिन्न न्यायालयों में 6 मामले लम्बित थे | प्रस्तुत मामले में वर्तमान स्थिति क्या है आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए तथा निर्णय आने पर उचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए |

(V) अचल सम्पति रजिस्टर का अनुरक्षण न करना :-

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद् लेखा सहिंता -1975 के नियम 152 (1) के अनुसार परिषद के लिये प्रारूप आर -1 तथा आर -1 बी (R.I. and R.I.B.) के अनुसार अचल सम्पति रजिस्टर का अनुरक्षण करना आवश्यक है । परन्तु कार्यकारी अधिकारी द्वारा अंकेक्षण अधियाना संख्या : 16/25 दिनांक 20.01.2025 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि इस नियम की अवहेलना करते हुये सम्पति रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था । इस बारे में पूर्व के कई अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपति दर्ज करने पर भी नगर परिषद घुमारवीं द्वारा अनुपालना नहीं की गई है। अत: एक बार पुन: यह मामला प्राथमिकता के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाए जाने तथा भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है । तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(VI) स्टॉक का भौतिक सत्यापन न करना :-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 16/25 दिनांक 20.01.2025 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अभिलेख की जाँच में स्टोर / स्टॉक के लेखांकन में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं ।

1. अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामान की भौतिक सत्यापना (Physical Verification) नहीं की गई है। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में शेष सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी आवश्यक है । नगर परिषद् द्वारा स्टोर/स्टॉक का अन्तिम भौतिक सत्यापन दिनांक 29.03.2006 को किया गया था ।

2. हिमाचल प्रदेश नगरपालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 15 में नियम 238 (1 व 2) में दिए गए प्रावधानों में नगर परिषद् द्वारा खरीदे गए स्टोर/स्टॉक के लेखांकन तथा भंडारण के संदर्भ में प्रावधित नियमों, सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों तथा सर्वमान्य प्रक्रियानुसार खरीदे गए स्टोर/स्टॉक का लेखांकन उनके जीवनकाल तथा उपयोग अनुरुप स्थाई अथवा अस्थाई (Consumable or Non-consumable) सामान के रूप में अलग-अलग पुस्तकों में किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त खरीदी गई प्रत्येक मद का इन्द्राज़ एक अलग पन्ने पर किया जाना चाहिए

तथा क्रय की गई प्रत्येक वस्तु की पूर्ण मात्रा, उसका मूल्य तथा आपूर्तिकर्ता के बिल का पूर्ण विवरण भी भण्डारण पुस्तकों में लिखा जाना अपेक्षित है। नगर परिषद् द्वारा जिन स्टॉक रजिस्टरों का अनुरक्षण किया गया है उनमें इसमें से अधिकतर नियमों की अनुपालना तो की गई है परन्तु स्थाई तथा अस्थाई स्टॉक का लेखांकन एक ही रजिस्टर में किया गया है।

इन त्रुटियों के सन्दर्भ में पिछले कई वर्षों से अंकेक्षण द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज की गई है। परन्तु नगर परिषद् द्वारा अभी तक अनुपालना हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया है। अतः उपरोक्त वर्णित त्रुटियों के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करके कार्यप्रणाली आवश्यक सुधार लाते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

16 **लघु आपत्ति विवरणिका :-** यह अलग से जारी नहीं की गई है |

17 **निष्कर्ष :-** लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है |

(रविन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

कि0 प्र0

4448 – 4450 18 JUL 2025

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)V(27)–खण्ड–4 दिनांकः शिमला–171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला–171002 को पैरा संख्याः 1 (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला–04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।

पंजीकृत : 3 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उतर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।

18 JUL 2025

(रविन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620881

कि0 प्र0

परिशिष्ट - (क)

पैरा संख्या -1 (घ) से संदर्भित

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :-

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/95 से 3/02

1)	पैरा – 13 (1)	अनिर्णीत	

(2) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2002 से 3/2007

1)	पैरा – 5(5)	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 7(1)(1से5)	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 7(3)	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 7(4)	अनिर्णीत	

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 3/2009

1)	पैरा – 6 (क)	अनिर्णीत	

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 3/2012

1)	पैरा – 16	अनिर्णीत	

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 3/2014

1)	पैरा – 8(1)	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 8(2)	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 8(3)	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 8(4)	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 8(5)	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 8(6)	अनिर्णीत	

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 3/2016

1)	पैरा – 7 (3)	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 7 (4)	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 12 (2)	अनिर्णीत	

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2016 से 3/2018

1)	पैरा – 5.2	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 14 (क)	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 16	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 17	अनिर्णीत	

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2018 से 3/2020

1)	पैरा – 6.2	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 16	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 17	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 20	अनिर्णीत	
5)	पैरा – 21	अनिर्णीत	
6)	पैरा – 22	अनिर्णीत	
7)	पैरा – 24	अनिर्णीत	
8)	पैरा – 25	अनिर्णीत	

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 3/2022

1)	पैरा – 7.3	अनिर्णीत	
2)	पैरा – 15.2	अनिर्णीत	
3)	पैरा – 15.3	अनिर्णीत	
4)	पैरा – 15.4	अनिर्णीत	

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2022 से 3/2023

1)	पैरा – 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क बैंक ड्राफ्ट संख्या 463999 दिनांक 20.01.2024 द्वारा भेज दिया गया।
2)	पैरा – 4	अंशत निर्णीत	नकदी प्रवाह विवरणी, लेखों पर टिप्पणी व वित्तीय प्रदर्शक सूचक बारे कार्यवाही शेष है।
3)	पैरा –6.2	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 6.2 पर प्रारूपित
4)	पैरा –6.3	अनिर्णीत	
5)	पैरा –6.4	अनिर्णीत	
6)	पैरा –7.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 5.3 पर प्रारूपित
7)	पैरा –7.2	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 7.2 पर प्रारूपित
8)	पैरा –7.3	अनिर्णीत	
9)	पैरा –8.1	अनिर्णीत	
10)	पैरा –8.3	अनिर्णीत	
11)	पैरा –8.4	अनिर्णीत	
12)	पैरा –10.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 10.1,10.6,10.9 व 10.10 पर प्रारूपित
13)	पैरा –10.2	अनिर्णीत	
14)	पैरा –10.3	निर्णीत	वांछित कार्यवाही बारे सत्यापन गत अंकेक्षण दौरान कर लिया गया
15)	पैरा –10.4	निर्णीत	वांछित कार्यवाही बारे सत्यापन गत अंकेक्षण दौरान कर लिया गया
16)	पैरा –10.5	अनिर्णीत	
17)	पैरा –10.6	अनिर्णीत	
18)	पैरा –10.7	निर्णीत	वांछित कार्यवाही बारे सत्यापन गत अंकेक्षण दौरान कर लिया गया
19)	पैरा –10.8	अनिर्णीत	
20)	पैरा –10.9	अनिर्णीत	

21)	पैरा –10.10	अनिर्णीत	
22)	पैरा –11	अनिर्णीत	
23)	पैरा –13.1	निर्णीत	₹582/- की वसूली रसीद संख्या 001/270 दिनांक 26.03.2025 द्वारा कर ली गई, जिसका इन्द्राज रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 296 पर किया गया है।
24)	पैरा –13.2	अनिर्णीत	
25)	पैरा –14.1	अनिर्णीत	
26)	पैरा –14.2	निर्णीत	₹1164/- की वसूली रसीद संख्या 001/270 व 002/270 दिनांक 26.03.2025 द्वारा कर ली गई , जिसका इन्द्राज रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 296 पर किया गया है।
27)	पैरा –14.3	अनिर्णीत	
28)	पैरा –14.4	अनिर्णीत	
29)	पैरा –14.5	अनिर्णीत	
30)	पैरा –15	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 15 (vi) पर प्रारूपित
31)	पैरा –16	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 15 (vi) पर प्रारूपित
32)	पैरा –17	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 4 (II) पर प्रारूपित
33)	पैरा –18	अनिर्णीत	

दिनांक 31.03.24 तक पैरों का सार	
03/23 तक अनिर्णीत पैरों की संख्या	47
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाये गए पैरों की संख्या	14
कुल योग	61
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरों की संख्या	13
31.03.24 को अनिर्णीत पैरों की संख्या	48

पैरा संख्या 5.1 से सन्दर्भित परिशिष्ट (ख)

Municipal Council Ghumarwin, Distt Bilaspur, Himachal Pradesh

Consolidated Yearwise Finnancial Position for the period 04/2023 to 03/2024

Year	Head	Opening Balance	Income	Interest on Investments	Total(2+3+4)	Expenditure	Closing Balance
	1	2	3	4	6	8	
2023-24	Own Sources	₹ 4,57,26,007	₹ 87,34,325	₹ 33,47,937	₹ 5,78,08,269	₹ 1,11,05,150	₹ 4,67,03,119
	Grant In Aid	₹ 5,05,58,443	₹ 7,09,62,900	₹ 0	₹ 12,15,21,343	₹ 2,76,55,176	₹ 9,38,66,167
	Total	₹ 9,62,84,450	₹ 7,96,97,225	₹ 33,47,937	₹ 17,93,29,612	₹ 3,87,60,326	₹ 14,05,69,286

पैरा संख्या 5.1 से सन्दर्भित परिशिष्ट 'ख'

			सावधि जमा योजना में निवेशित राशि	1,66,39,735.00
क्रम	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)	
1	पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	12782151003271	3,00,91,859.21	
2	पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	12782722000048	4,40,39,817.00	
3	पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	1278100100000017	2,82,611.00	
4	पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	1278100100004396	3,14,08,410.00	
5	पंजाब नेशनल बैंक घुमारवीं	12782413000416	0	
6	हि.प्र.रा.स.बैंक घुमारवीं	11010119500	9,53,828.00	
7	हि.प्र.रा.स.बैंक घुमारवीं	11010110544	24,46,375.00	
8	हि.प्र.रा.स.बैंक घुमारवीं	11010100464	30,13,663.43	
9	बैंक ऑफ़ बडौदा	38340100005112	1,74,017.00	
10	केनरा बैंक	110125157262	43,10,576.00	
11	आई.सी.आई.सी.आई बैंक घुमारवीं	480605000008	19,81,973.00	
12	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100488978171	0	
13	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100157962003	0	
14	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100462354409	0	
15	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100014226290	0	
16	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100252410170	0	
17	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100462349116	0	
18	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100080747260	2,42,318.55	
19	एच.डी.एफ.सी.बैंक घुमारवीं	50100080747205	23,12,468.00	
20	सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया घुमारवीं	3590243493	27,02,310.77	

Executive Officer
N.A.C Ghumarwin

21	यूको बैंक	12550110043035	0	
			वचत खातों का कुल योग	12,39,60,226.96
सावधि जमा निवेश तथा वचत खातों के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को कुल जमा राशि				14,05,99,961.96

Minucipal Council Ghumarwin, Distt Bilaspur HP

Statement of Bank Term Deposit Investments as on 31.03.2024

Sr No	Date of investment	Term Deposit A/c No.	Name of Bank	Amount invested	Rate of interest	Period of investment	Maturity Date	Date of Actual encashment	Maturity Amount received on encashment
1	09-11-2023	50300117540804	HDFC Bank Ghumarwin	**₹ 73,26,477**	6.60%	1 Year	09.11.2024	09.11.2025	₹ 78,22,336
2	19-10-2023	12783031003053	Punjab National Bank Ghumarwin	**₹ 47,45,007**	6.75%	1 Year	19.10.2024	24-03-1905	₹ 50,73,494
3	29-09-2023	643900DP0006804	Punjab National Bank Ghumarwin	**₹ 24,64,881**	6.75%	1 Year	30.09.2024	30.09.2025	₹ 26,35,520
4	19-01-2023	11030103816	H. P. State Coop Bank Ghumarwin	**₹ 21,03,370**	7.10%	1 Year	19.01.2024	19.01.2025	**₹ 21,03,370**
			Total as on 31-03-2024	**₹ 1,66,39,735**					

कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद घुमारवीं

42

ii) Reconciliation of bank balances and cash book balances as on 31.03.2024

Balance as per cash book/Financial Position as on 31.03.2024			**14,05,69,286.00**
Add:-	i) Expenditure out of own source but cheque issued vide No.854151 dated 4.03.2024 from Pension & Gratuity Fund. 2,69,862.00 ii) Interest received from different bank accounts as per detail below in paisa were not entered in cash book :- a)PNB Bank A/C No.12782151003271 0.21 b)HP Co. Bank A/C No.11010100464 0.43 c)HDFC Bank A/C No. 11010100464 0.55 d)CBI A/C No. 3590243493 0.77	2,69,863.96	2,69,863.96
			14,08,39,149.96
Less	Cheques deposited in to bank but not credited in to bank as per detail below :-	2,39,188.00	2,39,188.00
Rectified balance after above additions			**14,05,99,961.96**
Balance as per funds available in the banks as on 31.03.2024			**14,05,99,961.96**
Difference			**₹ 0**

Ch. No.	**Date**	**Amount**
501616	28.03.24	57585
457250	28.03.24	76752
000071	30.03.24	77322
580908	30.03.24	18974
966527	30.03.24	8555

43

Executive Officer
M.C Ghumarwin

पैरा संख्या 6.1 से सन्दर्भित परिशिष्ट - "ग"

Municipal Council Ghumarwin, Distt Bilaspur, Himachal Pradesh

Finnancial Position of GIA for the period 04/2023 to 03/2024

Year	Head	Opening Balance	Income	Interest on Investments	Total(2+3+4)	Expenditure	Closing Balance
	1	2	3	4	6	8	
2023-24	Grant In Aid	₹ 5,05,58,443	₹ 7,09,62,900	₹ 0	₹ 12,15,21,343	₹ 2,76,55,176	₹ 9,38,66,167
	Total	₹ 5,05,58,443	₹ 7,09,62,900	₹ 0	₹ 12,15,21,343	₹ 2,76,55,176	₹ 9,38,66,167

Executive Officer
M.C Ghumarwin

पैरा संख्या 6.2व से सन्दर्भित परिशिष्ट – 'घ'
6.4.

Municipal Council Ghumarwin, Distt Bilaspur, Himachal Pradesh

Yearwise details of Grants in Aid received during the period 4/2023 to 3/2024

Sr	Head	Sanctioning Authority	Letter number and Date	Purpose	Opening Balance	Receipt during the year	Total	Expenditure during the year	Closing Balance	Cash Book Page No	UC Letter no. & date
1	5th State Finance Commission	Director UD	UD-H(C)(10)-1/2023-SFC Award-loose-13931-13993/31.07.23=38,25,438, UD-H(C)(10)-1/2023-SFC Award-loose-13931-13993/31.07.23=1,13,60,917 UD-H(C) (10)-3/2020-II-4895-956/13.03.2024 =46,42,347,UD-H(C) (10)-3/2020-		**₹ 99,23,465**	₹ 1,51,86,355	₹ 2,51,09,820	₹ 1,56,33,763	₹ 94,76,057	₹ 235	
2	CFC (Tied)	Director UD	UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-2491-2561/10.05.2023=3092673,UD-H(C)(10)-1/2020-I-CFC Release-2420-2490/10.05.2023=46,39,010,UD-H(C)(10)-3/2020-II-4957-5018/13.03.2024 =30,94,932,Interest=6317+4211=10528		**₹ 2,20,68,402**	₹ 92,87,674	₹ 3,13,56,076	₹ 0	₹ 3,13,56,076	76, 235	
3	CFC (Un-tied)					₹ 61,91,816	₹ 61,91,816	₹ 61,89,923	₹ 1,893	76, 235	MCG/UC/2025-157 dated 06.02.2025
4	Vehicle Parking (Tourism)	Director UD	UD-H(C)(10)-3/2020-II-6088-90		**₹ 0**	₹ 3,00,00,000	₹ 3,00,00,000	₹ 0	₹ 3,00,00,000	76	
5	Solid Waste Management/Sanitation	Director UD			**₹ 83,86,784**	₹ 0	₹ 83,86,784	₹ 0	₹ 83,86,784		MCG/UC/2025-157 dated 06.02.2025
6	R/M of ULB Path	Director UD	Rtgs Date.31.07.2023		**₹ 0**	₹ 42,39,485	₹ 42,39,485	₹ 3,39,552	₹ 38,99,933	235	MCG/UC/2025-157 dated 06.02.2025
7	DC/MPLAD/VKVNY	DC Bilaspur	Rtgs Date.26.07.2023		**₹ 40,61,809**	₹ 1,50,000	₹ 42,11,809	₹ 4,79,305	₹ 37,32,504	233	MCG/UC/2025-157 dated 06.02.2025
8	Calamity Relief Fund/NDRF				**₹ 14,50,763**	₹ 0	₹ 14,50,763		₹ 14,50,763		
9	Parks				**₹ 26,86,800**	₹ 0	₹ 26,86,800	₹ 14,61,170	₹ 12,25,630		MCG/UC/2025-157 dated 06.02.2025
10	District Innovation Fund				**₹ 19,80,420**	₹ 0	₹ 19,80,420		₹ 19,80,420		
11	SBM					₹ 24,40,377	₹ 24,40,377	₹ 84,274	₹ 23,56,103	228 & 81	MCG/UC/2025-157 dated 06.02.2025
12	Nulm					₹ 39,627	₹ 39,627	₹ 39,627	₹ 0	81	MCG/UC/2021-446 dated 03.04.2025
13	hfa	Director UD				₹ 31,57,700	₹ 31,57,700	₹ 31,57,700	₹ 0	81	MCG/UC/2025-157 dated 06.02.2025
14	Gia Property Tax					₹ 2,69,866	₹ 2,69,866	₹ 2,69,862	₹ 4	79	MCG/UC/2025-157 dated 06.02.2025
15	IHHL/CT/PT					₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0		
			Grand Total For the year 2023-24		₹ 5,05,58,443	₹ 7,09,62,900	₹ 12,15,21,343	₹ 2,76,55,176	₹ 9,38,66,167		

45

कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद घुमारवीं

पैरा संख्या 7.2 से सन्दर्भित परिशिष्ट- ङ

Minucipal Council Ghumarwin, Distt Bilaspur HP

Statement of Bank Term Deposit Investments as on 31.03.2024 on A/c of P & G Fund

Sr No	Date of investment	Term Deposit A/c No.	Name of Bank	Amount invested	Rate of interest	Period of investment	Maturity Date	Date of Actual encashment	Maturity Amount received on encashment
1	13.11.2022	11030310353	H. P. State Coop Bank Ghumarwin	**₹ 9,49,616**	7.10%	1 Year	11.10.24	11.10.24	₹ 10,59,241
2	24.09.2023	11030310263	H. P. State Coop Bank Ghumarwin	**₹ 50,81,560**	7.10%	1 Year	11.11.24	11.11.24	₹ 54,52,071
3									
4									
			Total as on 31-03-2024	**₹ 60,31,176**					**₹ 65,11,312**

कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद घुमारवीं

पैरा संख्या 10.1 से सन्दर्भित परिशिष्ट -"ऐ"

Office of the Municipal Council Ghumarwin, Distt. Bilaspur H.P.					
Statement of outstanding property tax as on 31.03.2024					
Year	**Opening Balance**	**Demand**	**Total Demand**	**Collection**	**Closing Balance**
2023-24	96,28,071	71,32,679	1,67,60,750	57,52,392	1,10,08,358

कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद् घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

नगर परिषद घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश 4 से 25 वर्षों तक लंबित ₹86,91,010/- की बसूली हेतु शेष संपत्ति कर का विवरण						
क्रम संख्या	वार्ड संख्या	संपत्ति कर निर्धारण क्रमांक	संपत्ति कर दाता का नाम	वार्षिक सम्पति कर दर	दिनांक को बकाया संपत्ति कर राशि	भुगतान न किये जाने की अवधि/ वर्ष
1	1	63	श्री केहर दीन पुत्र श्री उमर दीन	7,500	1,00,000	13
2	1	71	हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लि. घुमारवीं	15,545	3,84,515	25
3	1	72	बी.एस.एन.एल. दूरसंचार निगम घुमारवीं	16,495	3,63,627	22
4	1	77	श्री संजय कुमार जोशी पुत्र श्री विष्णु	20,473	1,22,838	6
5	1	78	क्षेत्रीय प्रबंधक हिमफेड घुमारवीं	7,992	1,91,808	24
6	2	41	श्री ज्ञान चंद रतन पुत्र श्री सुरतिया राम	42,158	1,80,790	4
7	2	43	श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री गोपाल दास	10,776	2,23,673	21
8	2	58	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री इंदर सिंह	11,475	1,30,127	11
9	2	84	श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री मुंशी राम	10,668	1,97,972	19
10	2	95	श्री नंद लाल पुत्र श्री चुहारू राम	4,578	1,00,072	22
11	2	159	श्री सरफराज हाशमी	18,630	2,98,080	16
12	2	171	अड्डा प्रभारी हिमाचल पथ परिवहन निगम घुमारवीं	34,136	6,49,076	19
13	3	29	श्री धर्म पाल पुत्र नाथू राम	6,362	1,33,883	21
14	3	91	श्री ज्ञान चंद और श्री मदन	5,965	1,22,525	21
15	3	135	श्री जी.डी. गुप्ता पुत्र श्री आत्मा राम	14,850	1,25,368	8
16	3	137	श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री सोहन लाल	14,850	1,92,018	13
17	3	138	श्री प्रदीप गुप्ता	14,850	1,92,018	13
18	3	150	श्री गोपाल दास पुत्र श्री राम सरन	6,000	90,000	15
19	3	159	श्री कुलदीप कुमार	8,100	66,600	8
20	3	181	श्रीमती सरिता कुमारी पत्नी रमेश कुमार	30,032	1,50,160	5
21	3	189	श्रीमती नवीना देवी पत्नी श्री मदन लाल	13,669	1,23,015	9
22	4	28	श्रीमती बिमला देवी पत्नी स्व. एल.आर. वर्मा	5,090	1,07,120	21
23	4	97	श्रीमती वीना कुमारी पत्नी स्व. प्यारेलाल	7,413	97,782	13
24	4	100	श्री मति दुर्गा देवी पत्नी श्री सोहन सिंह	9,113	1,45,808	16
25	4	108	श्री सुरजीत सिंह .पुत्र श्री धर्म सिंह	7,180	86,160	12
26	4	137	श्री बिशन दास पुत्र श्री मनसा राम	16,875	1,35,000	8
27	4	170	श्रीमती अर्चना रतवान पत्नी श्री अश्विनी	18,901	2,64,614	14
28	5	16	श्री राम प्रकाश पुत्र श्री शिव राम	7,634	1,38,656	18
29	5	82	प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर घुमारवीं	9,355	2,00,267	21

Executive Officer
M.C Ghumarwin

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	संपत्ति कर निर्धारण क्रमांक	संपत्ति कर दाता का नाम	वार्षिक सम्पति कर दर	दिनांक को बकाया संपत्ति कर राशि	भुगतान न किये जाने की अवधि/ वर्ष
30	5	133	श्री राजेश ठाकुर पुत्र श्री जीत राम	31,030	1,42,650	5
31	5	134	श्री हरी राम के पुत्र श्री श्याम बिहारी	19,245	4,04,992	21
32	5	140	श्री हीरा लाल महाजन पुत्र श्री नंद लाल	13,445	2,52,935	19
33	5	178	श्री भद्रू राम पुत्र श्री गंगा राम	6,608	1,31,851	20
34	5	236	श्री हीरा लाल पुत्र श्री गंगा राम	7,800	1,09,200	14
35	5	237	श्री श्याम लाल पुत्र श्री गंगा राम	43,140	3,01,980	7
36	5	248	श्री प्रेम दास पुत्र श्री कृष्ण लाल (रैनबो हॉस्पिटल)	78,712	9,17,476	12
37	5	257	श्री अमर सिंह पुत्र श्री दीना नाथ	8,050	1,20,750	15
38	5	259	श्रीमती आरती उप्पल पत्नी श्री शिव कुमार	59,424	2,37,696	4
39	6	64	श्रीमती बर्फो देवी पत्नी श्री चंदन लाल	12,727	1,15,830	9
40	7	5	श्री मंजीत सिंह पुत्र श्री शामबीर	5,986	97,112	16
41	7	42	श्री सोहन लाल पुत्र श्री शालिग्राम	9,107	1,09,284	12
42	7	44	राजेंद्रा फिलिंग स्टेशन घुमारवीं	24,385	2,20,437	9
43	7	86	श्री ज्ञान चंद पुत्र स्वर्गीय श्री जगरनाथ	25,245	2,15,245	9
				कुल योग	**86,91,010**	

Executive Officer
M.C Ghumarwin

नगरपरिषद द्वारा वर्ष 2023-24 में गृहस्वामियों को नए भवनों हेतु जारी बिजली , पानी के कनेकशन का अनापत्ति प्रमाण पत्र बारे ।

Sr. No.	Owner Name, Address & Kharsa no.	NOC (Date)
1	Sh. Prakash Singh S/o Sh.Pyar Singh R/o Baddu (Rethal) Ward No.1 Khasra No. 330.	16/05 2023
2	Sh. Pritam Kumar S/o Sh. Amarnath R/o ward No. 4 Khasra No. 101	20/05/2023
3	Smt. Ruma Handa W/o Sh. Subhash Kumar R/o ward no.4 Khasra No. 138/1,139/1	20/05/2023
4	Sh. Gopal Sharma S/o Sh. Bansi Ram R/o Bajoha ward no. 5	26/05/2023
5	Smt. Vandana Kumari W/o Sh. Nishant Kumar R/o ward no.7 Dakkri.	26/05/2023
6	Smt. Manju Bala W/o Sh. Manohar Lal R/o Kalyana ward no.4 Khasra No. 90	30/05/2023
7	Sh. Narjan Singh S/o Sh. Surjeet Singh R/o Bajoha Khasra No. 787.317	20/03/2022
8	Smt. Rimant Chauhan W/o Sh. Rajeev Kumar, Sh. Rajeev C/o S/o Sh. Roop Lal ward no.6 Khasra No. 140	01/07/2023
9	Sh. Mansha Ram S/o Sh. Sartoo Ram near co-operative Bank ward no. 3 Khasra No.320/125	12/07/2023
10	Sh. Rajender Kumar S/o Sh. Dharam Singh ward no. 4 Harkukar Khasra No. 151	14/07/2023
11	Smt. Sankari Devi D/o Sh. Golabo Ram ward no.3 Khasra No.49/612	17/08/2023
12	Smt. Bimla Devi W/o Sh. Devinder Singh and Smt. Veena Devi W/o Sh. Satish Kumar R/o Harkukar Mauja Badota ward no.4 Khasra no. 49	13/09/202313
13	Smt. Bimla Devi W/o Sh. Uttam Singh ward no.6 Tikkri Khasra No. 688/1.688/2/1	22/09/2023
14	Sh. Bishan Dass S/o Sh. Mahant Ram R/o Indra Market ward no.2 Khasra No. 2364,2365	04/11/2023
15	Sh. PremLal S/o Sh. Nikka Ram R/o Kalyana ward no.4 Khasra No. 572/457	06/11/2023
16	Sh. Surat Ram S/o Sh. Deep Singh ward No. 3 Ambedkar Khasra No.628,629,630	05/10/2023
17	Smt. Rajo Devi W/o Sh. Bodh Raj R/o Harkukar ward no.4 Khasra No. Kitta 23(400)	15/03/2024
18	Smt. Nisha Kumari W/o Sh. Kuldeep Mauja Badota urban ward no. 4 Pargna Tiun P.O. & Teh. Ghumarwin Khasra No. 535-536	20/03/2024
19	Sh. Ravinder Pal S/o Sh. Dyalu Ram R/o Ambedkar ward no. 3	30/03/2024

W.Sup.

Executive Officer
M.C. [illegible]

Sr. No.	Ward No.	Consumer ID	Name	Father/Husband Name	Amount	Remarks
1	5	91	Sansar Chand	S/o Prem Chand	19,929	G-8 Sr. No. 025 Book No. 240 dated 18.03.2024
2	5	274	Chander Kumari	W/o Himmat Singh	6,075	G-8 Sr. No. 011 Book No. 245 dated 30.03.2024
				Total	**26,004**	

Executive Officer
M.C Ghumarwin

पैरा संख्या 10.6 से सम्बन्धित परिशिष्ट - अ
व 4(III) क(i)

Office of the Municipal Council Ghumarwin, Distt. Bilaspur H.P.					
Statement of outstanding Shop Rent as on 31.03.2024					
Year	Opening Balance	Demand	Total Demand	Collection	Closing Balance
2023-24	6,20,549	4,53,588	10,74,137	4,43,172	6,30,965

कार्यकारी अधिकारी
नगर परिषद घुमारवीं
जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

52

पैरा संख्या 10. से सम्बन्धित परिशिष्ट - ई

Detail Of Shops From Which Security Were Not Received			
Name of Allottee	**Shop No.**	**Date of Agreement**	**Remarks Amount of Security Not Received**
Hoshiar Singh	1	09.08.2002	10,000/-
Hoshiar Singh	2	09.08.2002	10,000/-
Promila Devi	3	09.08.2002	10,000/-
Riyaz Hashmi	4	09.08.2002	10,000/-
Imran Hashmi	5	09.08.2002	10,000/-
Lekh Ram	6	09.08.2002	10,000/-
Samsher Khan	7	09.08.2002	10,000/-
Lekh Ram	8	09.08.2002	10,000/-
Mastak Ahmad	10	09.08.2002	10,000/-
Himmat Singh	11	09.08.2002	10,000/-
Onkar Dutt	12	09.08.2002	10,000/-
Bishan Dass	13	09.08.2002	10,000/-
Nand Kishor	15	09.08.2002	10,000/-
Sahnaz Hashmi	16	09.08.2002	10,000/-
Dharmpal	17	09.08.2002	10,000/-
Ravi Sharma	18	09.08.2002	10,000/-
Lekh Ram	19	09.08.2002	10,000/-
Hoshiar Singh	20	09.08.2002	10,000/-
Prakash Chand	21	09.08.2002	10,000/-
Lakshmi Dass	22	09.08.2002	10,000/-
Hans Raj	23	10.09.2013	10,000/-
Krishan Dass	24	09.08.2002	10,000/-
Krishan Dass	25	09.08.2002	10,000/-
Jagan Nath	26	09.08.2002	10,000/-
Mast Ram	29	09.08.2002	10,000/-
Ajay Thakur	30	26.03.2006	10,000/-
Parshotam Dass	32	09.08.2002	10,000/-
Man Singh	33	09.08.2002	10,000/-
Inder Singh	34	09.08.2002	10,000/-
Subhash Kumar	35	09.08.2002	10,000/-
Desh Raj	36	09.08.2002	10,000/-
Brij Lal	37	13.09.2006	10,000/-

G-Total 3,20,000

Executive Officer
M.C Ghumarwin

पैरा संख्या 108 से सम्बन्धित परिशिष्ट -ढ

Statememt of Installation/renewal fees due, realized and outstanding in r/o of mobile tower geographic jurisdiction of in M.C. Ghumarwin Distt. Bilaspur for the period of 04/2023 to 03/24 .

2023-24

Sr. No.	Name of company	Year/date of installation of tower	Opening Balance of pending actual demand recovery	Opening Balance	Demand Due Remarks	Total demand raised	Demand realized	Closing Balance as on 31-03-24	Closing Balance of pending actual demand for
1	Idea telecommunication	2008	37500-	37500-	In this context it is submitted that Govt. of H.P. vide Letter No. PCH-HA(2)8/99-sanchar-33786-835 dt.13-05-2022 conveyed that annual renwal fee is applicable if tower is installed on panchayat land. In m.C. ghumarwin all mobile tower installed on private land of local people so renewal fee is not applicable.	0	0-	37500-	37500-
2	B.S.N.L.	2006	64065-	64065-		0	0-	64065-	39065-
3	Bharti infratel limited	2005	1060-	1060-		0	0-	1060-	1060-
4	Disnet communication	2007	106560-	106560-		0	0-	106560-	106560
5	Vodafone	2008	54865-	54865-		0	0-	54865-	54685-
6	Reliance	2009	0	0		0	0-	0	0
7	Reliance jio 1	2016	0	0		0	0-	0	0
8	Reliance jio 2	2018	0	0		0	0-	0	0
9	Reliance jio 3	2020	12500-	12500-		0	0-	12500-	12500-
			276370-	276370-		0	0	276370	276370-

Executive Officer
M.C. Ghumarwin
District Bilaspur (HP)

पैरा संख्या 10.9 से सम्बन्धित परिशिष्ट - 'ड'

Municipal Council Ghumarwin District Bilaspur HP						
Door to Door Collection for the year 2023-2024 as on 31-03-2024						वर्ष 2023-24 हेतु
विवरण	संख्या	अधिसूचना अनुसार दरें मासिक	मासों की संख्या (01.04.2023 से 31.03.2024)	बसूली योग्य राशि (01.04.2023 से 31.03.2024)	बसूल की गई राशि	कम बसूल की गई राशि
घर	1798	50	12	1078800	192500	886300
दुकानें	459	50	12	275400	0	275400
सरकारी कार्यालय	16	100	12	19200	0	19200
प्राथमिक विद्यालय	1	500	12	6000	0	6000
महाविद्यालय	0	100	12	0	0	0
वरिश्ठ माध्यमिक पाठशाला	5	500	12	30000	0	30000
औद्योगिक प्रशिक्षण	2	5000	12	120000	0	120000
सरकारी अस्पताल	1	5000	12	60000	0	60000
प्राइवेट अस्पताल	1	1500	12	18000	0	18000
रेस्टोरैंट	4	500	12	24000	0	24000
ढावा	6	200	12	14400	0	14400
होटल	2	500	12	12000	0	12000
बैंक	2	500	12	12000	0	12000
पैट्रोल पम्प	2	1000	12			0
मौल	1	1000	12	12000	0	12000
				1681800	**192500**	1489300

वर्ष 2022-23 हेतु बकाया = 7,90,860
कुल बकाया = 22,80,160

Executive Officer
M.C Ghumarwin

55

पैरा संख्या 10.10 से सन्दर्भित परिशिष्ट –'द'

Municipal Council Ghumarwin, Distt Bilaspur, Himachal Pradesh
Detail of RTI Fee Collected for the period 04/2023 to 03/2024

Year	Received RTI IPO Fee	RTI Fee Collected
	1	2
2023-24	52	520
	Total	

Executive Officer
M.C Ghumarwin

56

पैरा संख्या 10-11 से सन्दर्भित परिशिष्ट-'ण'

Municipal Council Ghumarwin

Detail of Marriage Registration from 01-4-2023 to 31-03-2024

Sr.No.	Amount
1	400
2	400
3	400
4	400
5	200
6	200
7	400
8	400
9	200
10	200
11	400
12	400
13	400
14	400
15	200
16	200
17	200
18	400
19	200
20	400
21	400
22	200
23	200
24	25
Total Rs	**7225**

Executive Officer
M.C Ghumarwin

पैरा संख्या 13.3 से सन्दर्भित परिशिष्ट - ट

Minucipal Council Ghumarwin, Distt Bilaspur HP

Statement of advertiment Payment upto 31.03.2024

Sr.No	Voucher No/Date	Name of News Paper	Bill No/Date	Total Area (Sq.M)	Rate	Amount Paid exempt GST	Amount of Disscount @ 15% not availed
1	29/10.5.23	Amar Ujala Limted	011845,dt. 23.3.23,	80	₹ 25.85	₹ 2,068	₹ 310.20
2			011721,dt. 20.3.23	222	₹ 25.85	₹ 5,739	₹ 860.81
3		Dainik Bhaskar	2202003539 dt. 26.3.23,	56	₹ 34.00	₹ 1,904	₹ 285.60
4			220200335 dt. 19.3.23,	240	₹ 23.81	₹ 5,714	₹ 857.16
5			2202003398 dt 24.3.23	56	₹ 34.00	₹ 1,904	₹ 285.60
6		Amar Ujala Limted	011704 dt. 19.3.23,	180	₹ 42.86	₹ 7,715	₹ 1,157.22
7			006842 dt. 1.6.22	216	₹ 25.85	₹ 5,584	₹ 837.54
8		Dainik Bhaskar	2202003212 dt. 10.03.2023,	200	₹ 42.86	₹ 8,572	₹ 1,285.80
9			2202003211 dt. 10.03.22	96	₹ 29.77	₹ 2,858	₹ 428.69
10		Janartha Adertising private Ltd.	12975 dt 5.7.22,	69.12	₹ 119.99	₹ 8,294	₹ 1,244.06
11			12922 dt. 23.6.22,	85.99	₹ 143.99	₹ 12,382	₹ 1,857.26
12			13202 dt. 2.9.22	60.14	₹ 167.99	₹ 10,103	₹ 1,515.44
Total						**₹ 72,836**	**₹ 10,925.36**

Executive Officer
M.C Ghumarwin

58

पैरा संख्या 14.1 से सम्बन्धित परिशिष्ट – श -63-

Deviation Details

Sr. no	Name of work	MB	Tender amount	Total Expenditure	Difference	%age	Excess or less
1	R/m of E O Residence Ward No-1	44/93	119570	118903	667	0.557832232	Less
2	R/m of E O Residence Ward No-1	44/96	141390	140895	495	0.350095481	Less
3	Restoration of Drain near Rehan Besera to MC Parking towards ground Level in ward No-2	45/1	139451	138955	496	0.35568049	Less
4	Restoration of Drain near Rehan Besera to MC Parking towards ground Level in ward No-2	45/2	139451	139862	-411	-0.29472718	Excess
5	C/O drain from MC Toilet near SDM Office Towards downward link road Ward No-2 Gmr	45/9	104550	98680	5870	5.614538498	Less
6	R/M of link Path near Chehad shani dev temple and near H/o Amar Singh Bhatiya Ward No-2	45/10	104260	104656	-396	-0.379819682	Excess
7	R/M of path from Gugga Temple to Mela Ground Ward No-6 Gmr	45/13	249273	246122	3151	1.264075933	Less
8	R/M of CC path from Rehan Basera to Mela Groung Ward NO-2 GMR	45/23	250000	246600	3400	1.36	Less
9	R/M of CC path from MC Parking towards Mukti .Dham, Ward No-2	45/21	75000	73935	1065	1.42	Less
10	R/M of path near community hall to Peepal tree in ward No-1 Baddu Gmr	45/16	285218	286543	-1325	-0.464556935	Excess
11	R/M of path by raising r/wall and filling at ward No-2 Gmr	44/99	106769	93661	13108	12.27697178	Less
12	R/M path raisin r/wall & filling at ward no-2 Gmr	43/73	152729	148421	4308	2.820682385	Less
13	R/M of path near h/o Sh. Rajesh Sharma ward No-4 Gmr	45/25	98310	100432	-2122	-2.158478283	Excess
14	C/O R/wall near Dakri Bowari to 2nd culvert ward No-7	45/28	505398	546961	-41563	-8.223815686	Excess
15	R/M of path from H/O Sh. Devi Singh towards mango tree near h/O Sh Shyam Singh Ward no-6 Tikkri	45/31	200850	200488	362	0.180234005	Less
16	Site Development for garbage collection center at Baddu Ward No-1	45/35	96390	89861	6529	6.773524225	Less
17	C/O site Development for store shop near Rehan Basera Parking Ward No-2	45/41	35938	28767	7171	19.95380934	Less
18	C/O R/wall Near b/W site Rehan Basera Parking Ward No-2	45/47	95794	87824	7970	8.31993653	Less
19	C/o CC path from Rio Brij Lal towards H/O Sh. Anil Kumare &b R/wall near H/O Sh Jeet Ram in ward :No-7 Dakri	45/36	460924	442506	18418	3.995886524	Less
20	C/o CC path pavers near h/o Parkash soni towards temple & link road via R/o Ram Swaroop to Mustaq In ward No-7 Dakri	45/38	436545	463620	-27075	-6.202109748	Excess
21	PARKS						
22	C/o Shops in MC Area Ward No-6 Tikkri Ghumarwin	45/48	856317	1372336 824951	31366	3.662895867	Less

Executive Officer
M.C Ghumarwin

59

23	R/M of under culvert at lahed ,near h/o Smt. Veena Devi Ward No-5 BaJoha Gmr	43/78	93643	91213	2430	2.594961716	Less
24	R/M of drain near primary school to main gate girls school in ward No-3	45/45	103947	78431	25516	24.54712498	Less
25	C/o R/wall near Jalpa Temple towar4ds JSV Rest House Ward NO-6	46/1	345642	310545	35097	10.15414793	Less
26	PF of JS Railing Infront of mc office ground statue of Gandhi ward No-3	45/62	64057	81805	-17748	-27.70657383	Excess
27	R/M of Interlocking path fro kulbhusan ICE Factory to Maszide in ward No-1	45/59	431750	188315	243435	56.38332368	Less
28	C/O interlocking path near Gurdev house to Finju Ram in Harkukahar ward No-4 Ghumarwin	46/10	248236	177535	70701	28.48136451	Less
29	R/M of Path at Stairs towards mela ground ward No-2 Ghumarwin	46/8	122040	130851	-8811	-7.219764012	Excess
30	C/o interlocking tile pavers path from rainbow hospital gate to CH Complex in ward No-5 Bajoha	46/4	457800	502277	-44477	-9.715377894	Excess
31	R/M of path along Radha swami Satsang Vyas path near h/o Arvind Sharma Ward No-1 Baddu	46/13	99248	74678	24570	24.75616637	Less
32	R/M of link road from old bus stand to saligram temple ward No-2	46/21	88650	106532	-17882	-20.1714608	Excess
33	R/M of drain from h/o Sh. Ishwar Dass to h/o Sh. Balek Ram ward No-6 Tikkari	46/20	88650	78727	9923	11.19345742	Less
34	C/o Toilet shed & repair along kisan paramarsh Kender in ward No-6 Ghumarwin	45/64	373674	409470	-35796	-9.579473017	Excess
35	c/o cc path r/wall from HPSEB complaint room to Smt. Maya devi ward o-1	46/32	502230	519464	-17234	-3.43149553	Excess
36	R/M of mc park in SDM Residence ward No-1	46/23	118269	88834	29435	24.88817864	Less
37	R/M of Rehan Basera of court yard Complex ward No-2	46/24	100779	108152	-7373	-7.316008295	Excess
38	R/M up gradation of path with cc & paver Tikkri Ward No-6	46/36	430400	339552	90848	21.10780669	Less

60

Executive Officer
M.C Ghumarwin

DELAY IN WORKS.

S.No.	Description of work	Name of contr. and MB No.	Time Period	No. of Days Delayed	Penalty	~~Remarks~~ Cost
01.	R/M of drain from rehan basera towards mela ground, ward no. 2, Gmr.	Sh. Neeraj Kumar MB45, P.No.5	Three Months	367	Rs.15,000.00	Rs.1,50,000.00
02.	R/M of drain ~~from~~ mc parking towards mela ground, ward no. 2, Gmr.	Sh. Neeraj Kumar MB45, P.No.6	Three Months	372	Rs.15,000.00	Rs.1,50,000.00/-
				Grand Total	30,000	

Executive Officer
Municipal Council Ghumarwin
Distt. Bilaspur (H.P.)

61

STATEMENT SHOWING NON DEDUCTION OF ROYALTY FROM WORKS BILL (03/2024)

Vr No & Date	Name of Work.	Item	Qty Consumed	Conversion factor	Qty. (TON'S)	Rate (per MT)	Deductible Royality	Deducted Royality	Less deducted Royality.
289 15/03/24	C/o R/wall along with Link road near H/o Ramesh, ward no. 5, MC Ghumarwin	Sand	10.47 M^3	1.60	16.75	80/-	1340	Nil	1340
		C. Agg.	20.94 M^3	1.46	30.57	80/-	2445	Nil	2445
	Total								= Rs. 3785.00/-
							Add 25% Penality		946.00
									4731.00

Executive Officer
M.C Ghumarwin

पैरा संख्या 15(iv) से सन्दर्भित परिशिष्ट नं

List of Court Cases Status as on 31.03.2024

Sr. No.	Case Title	Status
1.	Bishan Dass vs Yashpal	Pending
2.	Heera Lal vc MC Ghumarwin	Pending
3.	Bisan Dass vs MC Ghumarwin	Pending
4.	Jagdish Chand vs Manoj Kumar	Pending
5.	Neeraj Kumar vs Pawan Kumar	Pending
6.	Dandu Ram vs Satpal	Pending

Executive Officer
MC Ghumarwin
Distt. Bilaspur H.P.

पैरा संख्या 5 (III) पंच से सन्दर्भित परिशिष्ट - 'प'

MUNICIPAL COUNCIL- GHUMARWIN
GHUMARWIN , DISTT BILASPUR (H.P.)
BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2024

Code of Accounts	Description of Items	Schedule No.	Current Year Amount (₹)
	LIABILITIES		
	Reserve & Surplus		
3-10	Municipal General Fund	B-1	14,11,03,478.00
3-11	Earmarked Funds	B-2	0.00
3-12	Reserves	B-3	0.00
	Total Reserves & Surplus		14,11,03,478.00
3-20	**Grants, Contributions for Specific Purposes**	B-4	0.00
	Loans		
3-30	Secured Loans	B-5	0.00
3-31	Un-secured Loans	B-6	0.00
	Total Loans		0.00
	Current liabilities & Provisions		
3-40	Deposits Received	B-7	0.00
3-41	Deposits Works	B-8	0.00
3-42	Other Liabilities	B-9	0.00
3-43	Provisions	B-10	0.00
	Total Current liabilities & Provisions		0.00
	TOTAL LIABILITIES		14,11,03,478.00
	ASSETS		
4-10	**Fixed Assets**	B-11	
	Fixed Assets		7,18,318.00
4-11	Less: Depreciation		1,84,126.00
	Net Block		5,34,192.00
4-12	Capital Work-in-Progress		0.00
	Total Fixed Assets		5,34,192.00
	Investments		
4-20	Investments - General Fund	B-12	0.00
4-24	Investments - Other Fund	B-13	0.00
			0.00
	Current Assets, Loans and Advances		
4-30	Stock in Hand (Inventories)	B-14	0.00
	Sundry Debtors (Receivables)		
4-31	Gross amount outstanding	B-15	0.00
	Less: Accummulated provision against bad and doubtful sundry debtors		0.00
	Net Amount Outstanding		0.00
4-40	Prepaid Expenses	B-16	0.00
4-50	Cash and Bank Balances	B-17	14,05,69,286.00
4-60	Loans, Advances and Deposits	B-18	0.00
4-61	Less: Accummulated provision against Loans		0.00
	Net Amount Outstanding		0.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		14,05,69,286.00
	Other Assets		
4-70	Other Assets	B-19	0.00
4-80	Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)	B-20	0.00
	Total Other Assets		0.00
	TOTAL ASSETS		14,11,03,478.00

Auditor's Report : " As per our separate report of even dated."

Place : Bilaspur
Date 15-06-2024
UDIN 24522734BKAMPE1232

For P Soni & Associates
Chartered Accountants

(Pankaj Soni)
Pro.
M. No. 522734

Executive Officer
M.C Ghumarwin

MUNICIPAL COUNCIL- GHUMARWIN
GHUMARWIN , DISTT BILASPUR (H.P.)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

Code of Accounts	Description of Items	Schuedule No.	Current Year Amount (Rs)
	INCOME		
1-10	Tax Revenue	I-1	51,52,392.00
1-20	Assigned Revenues & Compensation	I-2	0.00
1-30	Rental Income from Municipal Properties	I-3	4,45,732.00
1-40	Fees & User Charges	I-4	22,80,072.00
1-50	Sale & Hire Charges	I-5	0.00
1-60	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	I-6	7,09,62,900.00
1-70	Income from Investments	I-7	33,47,937.00
1-71	Interest Earned	I-8	0.00
1-80	Other Income	I-9	8,56,129.00
A	TOTAL INCOME (A)		8,30,45,162.00
	EXPENDITURE		
2-10	Establishment Expenses	I-10	41,56,434.00
2-20	Administrative Expenses	I-11	21,99,106.00
2-30	Operations & Maintenance	I-12	43,50,140.00
2-40	Interest & Finance Charges	I-13	333.00
2-50	Programme Expenses	I-14	0.00
2-60	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	I-15	2,76,55,176.00
2-70	Provisions & Write Off	I-16	0.00
2-71	Miscellaneous Expenses	I-17	0.00
2-72	Depreciation	I-18	1,84,126.00
B	TOTAL EXPENDITURE (B)		3,85,45,315.00
A-B	Gross Surplus(Deficit) of Income over expenditure before prior period items		4,44,99,847.00
2-80	Add: Prior period items (Net)	I-19	0.00
	Gross Surplus(Deficit) of Income over expenditure after prior period items		4,44,99,847.00
2-90	Less: Transfer to Reserve Funds		0.00
	Net Balance of Surplus (Deficit) carried over to Municipal Fund		4,44,99,847.00

Auditor's Report : " As per our separate report of even dated."

Place : Bilaspur
Date 15-06-2024
UDIN 24522734BKAMPE1232

For P Soni & Associates
Chartered Accountants

P SONI & ASSOCIATES 522734 BILASPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Executive Officer
M.C Ghumarwin

65

(Pankaj Soni)
Pro.
M. No. 522734

MUNICIPAL COUNCIL- GHUMARWIN
GHUMARWIN , DISTT BILASPUR (H.P.)
RECEIPTS & DISBURSEMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

RECEIPTS		AMOUNT (RS)	DISBURSEMENTS		AMOUNT (RS)
To Op. Balance :as on 1-4-2023			**By Exp. Incurred on Scheme**		
Cash in Hand	-		**Own Sources**		
Cash at Bank:	9,62,84,450.00	9,62,84,450.00	Salary	28,21,804.00	
			P & G	6,09,650.00	
To GIA in Aids Received			TA	49,996.00	
Income					
			Honorarium	3,48,000.00	
Own Sources			Photocopy/Stationery/office exp.	53,333.00	
			Telephone	31,178.00	
Rent	4,40,172.00		Newspaper Bill	3,427.00	
Map Fee	2,25,225.00		Elec. Bill	57,029.00	
Birth & Death	1,963.00		Audit Fee	28,200.00	
Marriage	12,675.00		Vehicle ins./ passing	46,892.00	
NOC	11,500.00		Vehicle m/repair	1,88,570.00	
Sanitation Fee	3,58,050.00		Vehicle oil	2,25,889.00	
Slaughter House Fee	17,020.00		Street light m/ repair	1,17,241.00	
Misc.	8,56,129.00		SL Elect. Bill	9,90,142.00	
Copying Fee	22,113.00		Water	28,779.00	
Property Tax	5152392		Misc	1,58,337.00	
Parking Fee	10,000.00		Street Light ESSL	5,87,970.00	
Rest House / Rehan Basera	5,560.00		Outsource employees bill	3,26,984.00	
Advertisement	1,000.00		Advtisement N/paper	2,98,342.00	
Security	16,20,526.00	87,34,325.00	Works	14,67,518.00	
			Sanitation / Sanitation Material	1,76,203.00	
Interest	33,47,937.00	33,47,937.00	D toD GC u/c	23,670.00	
			Plastic waste/garbage disposal	78,480.00	
Grants in Aid			JCB/Tractor hire	2,81,900.00	
			Court case / Counsel Fee	1,04,650.00	
5th S.F.C.	1,51,86,355.00		Security	16,01,496.00	
Vehicle Parking (Tourism)	3,00,00,000.00		Bank Charges	333.00	1,07,06,013.00
CFC Tied	92,87,674.00				
CFC untied	61,91,816.00				
R/M ULB roads	42,39,485.00		Office furniture	39,443.00	39,443.00
SBM IEC / SBM	24,40,377.00		Website/ Computer/Camara	3,59,694.00	3,59,694.00
NULM	39,627.00		**Grants in Aid**		
PMAY	31,57,700.00		**CFC (U)**		
DC/SDRF/NDRF/SDP	1,50,000.00		Sanitation	39,06,456.00	
GIA Property Tax	2,69,866.00	7,09,62,900.00	Plastic waste/garbage disposal	11,99,921.00	
			Works	10,83,546.00	61,89,923.00
			Park	14,61,170.00	
			IHHL/CT/PT	4,09,470.00	
			PMAY	31,57,700.00	
			NULM	39,627.00	
			SBM IEC	84,274.00	
			R/M of ULB roads	3,39,552.00	
			DC Grant	4,79,305.00	
			GIA Property Tax	2,69,862.00	62,40,960.00
			5th State Finance Commission		
			Salary	74,14,822.00	
			P & G	15,68,538.00	
			Street Light EESL	9,79,950.00	
			Dev. Works	52,60,983.00	1,52,24,293.00
			By Closing Balance :		
			Cash at Bank:	14,05,69,286.00	
				-	14,05,69,286.00
		17,93,29,612.00			**17,93,29,612.00**

0.00
For P Soni & Associates
Chartered Accountants

(Pankaj Soni)
Pro.
M. No. 522734

Executive Officer
M.C Ghumarwin

66

MUNICIPAL COUNCIL- GHUMARWIN
GHUMARWIN , DISTT BILASPUR (H.P.)
FOR THE YEAR 2023-24

Table 27.4

Statement of Cash Flow

	Previous Year (Rs.)	Current Year (Rs.)
a. Cash Flows from operating activities		
Gross surplus/ (deficit) over expenditure	83,00,448.00	4,44,99,847.00
Adjustments for		
Add:		
Depreciation	36,420.00	1,84,126.00
Interest and finance expenses		
Less:		
Profit on disposal of assets		
Dividend Income		
Investment Income		
Adjusted Income over expenditure berfore effecting changes in current assets and current liabilities and extra ordinary items		
Changes in current assets and current liabilities		
(Increase)/ decrease in Sundry debtors		
(Increase)/ decrease in Stock in hand		
(Increase)/ decrease in prepaid expenses		
(Increase)/ decrease in other current assets		
(Decrease)/ increase in Deposits recevied		
(Decrease)/ increase in Deposits works		
(Decrease)/ increase in other current liabilities		
(Decrease)/ increase in provision		
Extra ordinary items (specify)		
Net cash generated from/ (used in) operating activities (a)	83,36,868.00	4,46,83,973.00
b.Cash Flow from investing activities		
(Purchase) of fixed assets & CWIP		
(Increase)/ Decrease in Special funds/grants		
(Increase)/ Decrease in Earmarkedfunds		
(Purchase) of Investments		
Add:		
Proceeds from disposal of assets		
proceeds from disposal of investment		
Investement Income received		
Interest Income received		
Net Cash generated from/ (used in) investing activities (b)		
c. Cash Flows from financing activities		
Add:		
Loans from bank/other received		
Less:		
Loans prepaidduring the period		
Loans and advances to employees		
Loans to others		
Finance expenses.		
Net Cash genrated from (used in) financing activities (c)		
Net Increase/ (decrease) in cash and cash equivalents (a + b + c)	83,36,868.00	4,46,83,973.00
Cash and cash equivalents at beginning of period		
Cash and cash equivalents at end of period		
Cash and Cash equivalents at the end of the year comprises of the following account balance at the end of the year		
i. Cash Balances		
ii. Bank Balances	9,62,84,450.00	14,05,69,286.00
iii. Scheduled co-operative banks		
iv. Balances with post offices		
v. Balances with other banks		
Total	9,62,84,450.00	14,05,69,286.00

Note: items in 0 brackets denote as that they are to be deducted

Executive Officer
M.C Ghumarwin

67

पैरा संख्या 12 से सम्बन्धित परिशिष्ट - (च)

Minucipal Council Ghumarwin, Distt Bilaspur HP

Statement of of unadjustited Advance upto31.03.2024

Year	Advance Given to institutaion Person/Official	Purpose	Amt. of Advance
2023-24	Member Secretary SCSTE Kasumpati Shimla -9	GIS Based Mapping ogf Survey of MC Property	₹ 2,69,862

Executive Officer
M.C Ghumarwin

GP

पैरा संख्या 4 (iii) के (i) से सम्बन्धित परिशिष्ट क ( )

Municipal Council Ghumarwin, H.P.

Statement of Assets in possession of the Municipal Council Ghumarwin as on 31.03.2024

Sr. No.	Name Of Property	Location & Address	Cost of acquisition/ construction	Year of acquisiti construction
1	MC Office building	Old bus stand, W.n. 3, Ghuamrwin	20,00,000	1980-81
2	MC Rehan Basera building	Ward n. 2 Ghumarwin	10,00,000	2002-2003
3	Stage & stadium	Mela ground W.N. 2 Ghuamrwin	7,00,000	2006-2007
4	Community center	Along Bajoha park W.N. 5, Ghumarwin	10,00,000	2009-2010
5	Community center	Near Jalpa mata temple W.N. 6 Tikkari, Ghumarwin	14,00,000	2014-15
6	Kishan Pramarsh Kendra	Near Jalpa mata temple W.N. 6 Tikkari, Ghumarwin	Handed over from IPH Ghumarwin	2018-19
7	Public Tiolet	Near SDM Office W.N. 2 Ghumarwin	7,00,000	2012-13
8	Public Toilet	Dakri Chowk Ward. N.5 Ghumarwin	10,00,000	2007-08
9	Ambedkar Bhawan	Ward. N. 1 Baddu Ghumarwin	Handed over by HPPWD Ghumarwin	2015-16
10	Community center	Ward. N. 1 Baddu Ghumarwin	7,00,000	2006-07
11	OLD Shops (39 no.)	Near SDM office Near Police Station Meat Market	13,00,000	1990-1991
12	New shops (4 No.)	Near Police Station and Civil Hospital Complex	8,00,000	2018-19

69

Executive Officer
Municipal Council Ghumarwin,
Distt. Bilaspur H.P.